

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष श्री वृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चेंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न प्रारंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

31.03.2015/1100/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1850

श्री पवन काजल : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके दृष्टिगत मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ। नाबार्ड के तहत 27.09.2007 को 3.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति इस पुल हेतु हुई थी। यह भी सत्य है कि इसमें 68.00 मीटर स्पैन पुल बनकर लगभग तैयार है लेकिन रेलवे ओवर ब्रिज का काम अभी बाकी है। इसमें आगे जो पुल बनना है वह रेलवे फाटक से ऊपर बनना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि इसी फाईनैशियल ईयर में इस पुल को पूरा किया जाए। यह पुल कांगड़ा और नगरोटा विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला है। विभाग से बात करने पर पला चला कि लगभग 5-7 वर्ष पहले रेलवे वाला ट्रैक स्वीकृति के लिए भेजा है। उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार जो कोहला से मन्दल को जोड़ने वाला पुल है, इसका हाईड्रोलिक डाटा तैयार कर लिया गया है और ड्राईंग भी बना दी जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से आपके माध्यम से यह आश्वासन चाहता हूँ कि इन दोनों पुलों को इसी फाईनैशियल ईयर में स्वीकृति दी जाए।

मुख्य मंत्री : यह फाईनैशियल ईयर तो आज ही खत्म होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बड़े विस्तार से जवाब दिया है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि जो काम हिमाचल प्रदेश सरकार ने करना है या हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने करना है, उसको जल्दी-से-जल्दी किया जाएगा, लेकिन जो काम रेलवे मंत्रालय ने करना है, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि वे इसमें कितना समय लगाएंगे। मगर उनको भी हमने, जो हमारा अपना उस कार्य का शेयर था, वह पैसा हमने उनको उपलब्ध कर दिया है।

समाप्त

31.03.2015/1100/sls-ag-2

प्रश्न संख्या : 1852

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वहां पर बस स्टैंड बनाने के लिए इन्होंने 'हां' कही है। दूसरे, मैं इनसे

जानना चाहूंगी कि इस ज़मीन को ट्रांसफर करने के लिए एच.आर.टी.सी. या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या प्रक्रिया शुरू की है और इसी वित्तीय वर्ष यानी 2015-16 में इसका काम आरंभ करने का आश्वासन देंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप मौके पर गया था और ज़मीन को देख कर आया था। This land is in the possession of Municipal Committee, Dalhousie.

जारी ..श्री गर्ग जी

31/03/2015/1105/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1852—क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मौके पर गया था और उस जमीन को देखकर आया था। This land is in possession of Municipal Committee, Dalhousie. हमने ए.सी.एस.(शहरी विकास) से अनुरोध कर दिया है for N.O.C. for the transfer of the land. I will request the Hon. Member also to pursue the case with Urban Development Department and as and when the land is transferred, we start it at the earliest because already 25 new JNNURM buses are going through that bus stand and we tend to start new Volvo bus from Dalhousie to Delhi and one new bus from Dalhousie to Shimla. So, looking into that thing, we may start it at the earliest.

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि इन्हें यू.डी. डिपार्टमेंट का एन.ओ.सी. चाहिए या म्युनिसिपल कमेटी, डलहौजी का एन.ओ.सी. चाहिए, so that I can pursue the matter accordingly.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एन.ओ.सी. म्युनिसिपल कमेटी देगी ,फिर वाया यू.डी. डिपार्टमेंट हमारे पास आएगा ,तो ए.सी.एस. (शहरी विकास) जैसे ही उपलब्ध करवा देंगे ,we will do it in whatsoever the minimum time we will require.

प्रश्न समाप्त

2/-

प्रश्न सं. 1853

अध्यक्ष : प्रश्न सं. 1853, श्री हंस राज अनुपस्थित।

3/-

प्रश्न सं. 1854

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन कुछ लोगों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान स्वीकृत हुए थे और उनको एक किश्त जारी भी हो गई थी। इस बात को लगभग दो वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनको दूसरी किश्त नहीं मिली, तो इसके क्या कारण हैं? ऐसे कितने मामले हैं और उनको बकाया राशि कब तक मिल जाएगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान जिला ऊना को दूसरी किश्त नहीं दी गई थी। क्योंकि जिला ऊना में वर्ष 2008-09 में जो बैलेन्स शीट बनाई थी उसका ओपनिंग बैलेन्स अधिक होने के कारण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 62.15 लाख रुपये की कटौती की थी और इसमें लगभग 174 लाभार्थी थे जिनकी कटौती की गई थी। हम भारत सरकार से लगातार इस बारे में चर्चा करते रहे एवं पत्राचार करते रहे। इसके लिए दिनांक 2 फरवरी, 2014 को माननीय तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार को लिखा था, परन्तु भारत सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। यह मुद्दा भारत सरकार के साथ पत्र संख्या एस.एम.एच. ॥ ,2078-आर.डी.डी. , दिनांक 19जून, 2012 2 ,अगस्त, 2012 19 ,अक्तूबर, 2012 28 ,फरवरी, 2013 9 ,दिसम्बर, 2013 30 ,जुलाई, 2014 व 25 सितम्बर, 2014 के द्वारा उठाया गया था, परन्तु भारत सरकार से इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हम इसमें जिम्मेवारी निर्धारित करेंगे। जिस अधिकारी ने समय पर बैलेन्स शीट भेजी थी और ओपनिंग बैलेन्स ज्यादा लिया था

जिसकी वजह से यह कटोती हुई है। उसके लिए जिम्मेवारी निर्धारित करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को इस सदन के माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूँ कि यह जो बैलेन्स पेमेंट 82.87 लाख रुपये है इसकी अदायगी हम कर देंगे।

31/03/2015/1105/RG/JT/4

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जब से हिमाचल प्रदेश में ये आवास योजनाएं चल रही हैं तब से लेकर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत गरीब लोगों को घर मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग गांवों में हैं जिनके पास घर नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ग्राम पंचायतों द्वारा जो प्राथमिकता सूची बनाई जाती है उसमें दस लोगों के नाम डाल देते हैं और जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनका नाम सबसे नीचे के पायदान पर होता है-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2015/1110/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 1854 क्रमागत--श्री राम कुमार जारी----

और जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं, उनके नाम सबसे नीचे के पायदान पर होते हैं और ऊपर उनके नाम होते हैं जिनके पास ऑलरैडी मकान होते हैं। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे निर्देश विभाग/बी0डी0ओज0 को दिए जाएं कि मकान आबंटित करने से पहले फिजिकल वैरिफिकेशन करवाई जाए कि क्या जो सूची संबंधित ग्राम पंचायत ने दी है, वह वास्तव में ही सही है। जिन लोगों के नाम क्रम संख्या 1 से 5 तक हैं क्या उनके पास वास्तव में ही मकान नहीं हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं, वे अपनी दिहाड़ी लगाने चले जाते हैं। वे आज से 20-50 साल पहले भी झुग्गी में थे और आज भी वहीं रहते हैं। अगर हम फिजिकल वैरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो उनका नम्बर कभी नहीं आएगा। अगर बी0डी0ओज0 द्वारा फिजिकल वैरिफिकेशन करके सरकार को यह रिपोर्ट दी जाए कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनका

नाम सबसे नीचे के पायदान पर है, इसलिए उनको मकान नहीं मिलते, तो यह एक अच्छा कदम होगा। एक पंचायत को पांच साल में पांच मकान मिलने हैं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, संक्षेप में बोलें।

श्री राम कुमार: जी सर, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूँ। तो पांच मकान मिलने हैं। इसलिए जो सबसे नीचे के पायदान पर हैं, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सदन को वह आश्वास्त करें, यहां से ऐसे निर्देश जारी करें कि पंचायत सूची का फिजिकल वैरिफिकेशन करवाकर ही मकान आबंटित किए जाएं।

ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अभी तक प्रदेश के अंदर 1,59,492 मकान पिछले सालों में बना दिए हैं। अभी तक भी 45 599,वेटिंग में है। जो माननीय सदस्य ने कन्सर्न जाहिर किया है ,क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ही वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। ग्राम सभा के माध्यम से जो भी वेटिंग लिस्ट होती है चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे राजीव आवास योजना हो, उसी क्रम पर हम अलॉटमेंट करते हैं। दूसरा प्रश्न जो उठाया, यह सही है कि कई बार लोग ग्राम

31/03/2015/1110/MS/AG/2

सभाओं के अंदर मकान के लिए अपना नाम डाल देते हैं। उसको प्रायोरिटी के ऊपर जब हम देखते हैं तो उसमें बी0डी0ओ0 की भी जिम्मेदारी बनती है और साथ में हमारा यह प्रयास रहता है कि इन चीजों को देखा जाए कि किसी के पास मकान पहले तो नहीं है या किस स्तर पर है। उसको भी हम देखेंगे। दूसरा, जो आपने प्रश्न उठाया है कि कोई आदमी जिसका नाम लगता है कि वेटिंग लिस्ट में पीछे है और किसी का ऐसा लगता है कि मकान बना हुआ है और वह उससे ऊपर वेटिंग लिस्ट में है तो ऐसी स्थिति में एस0डी0एम0 को शिकायत की जा सकती है। उस शिकायत के आधार पर हम उसको उस वेटिंग लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा ,ऐसा भी होता है कि कई बार कहीं आग लग जाती है या कहीं लैण्ड स्लाइड हो जाता है और सूची के अंदर यदि उस व्यक्ति का नाम पीछे भी हो तो उसका भी खास ख्याल रखा जाता है। उस लिस्ट से उसके नाम को आगे प्रायोरिटी में रखा जाए। उस पर भी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि ऐसे कितने बकाया केसिज हैं? इन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसे कितने केसिज हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि बकाया धनराशि 82.87 लाख रूपये रहती है, वह दे देंगे। वह कब तक देंगे? क्योंकि गरीब लोगों ने उधार लेकर मकान बना लिए और उन्होंने वह पैसा वापिस भी देना है तो कब तक वह पैसा रिलीज करेंगे और कितने केसिज हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने चाहा है, मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जिला ऊना में 174 ऐसे मकान हैं जो लोगों ने कम्पलीट कर दिए हैं क्योंकि यह पुरानी और बहुत लम्बी बात है और फाइनल इन्स्टालमेंट उनको देनी है। जैसे मैंने कहा, हम इसी वर्ष उनकी फाइनल इन्स्टालमेंट दे देंगे जिससे उनके मकान का जो बचा हुआ पैसा, वह उनको मिल जाए।

31/03/2015/1110/MS/AG/3

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष जी, प्रश्न यह था कि आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केवल इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना ही थी? यह अटल आवास योजना भी इस प्रदेश में चली थी और उसके तहत भी लोगों को बहुत से मकान दिए गए और अगर दिए तो कितने मकान दिए गए और कितने बनें?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। यह ठीक है कि पहले अटल आवास योजना थी अब इसका नाम राजीव आवास योजना रखा गया है और क्योंकि आंकड़े तीन सालों के मांगे गए थे, मैं माननीय सदस्य को जो सूचना मांगी गई है, वह दे दूंगा।

अगले वक्ता श्री जे०के० द्वारा---

31/1115/3.2015.जेके/एजी1/

प्रश्न संख्या: 1854--जारी--

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यहां पर इंदिरा आवास योजना की प्रक्रिया का जिक्र किया यह प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटिड है। एस.डी.एम. के पास कम्प्लेंट करने के बाद प्रोसेस में सालों बीत जाते हैं और जो पात्र व्यक्ति है उसको यह लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो दो योजनाएं आपके विभाग के माध्यम से चलती है एक तो इन्दिरा आवास योजना और दूसरी हमारे टाईम में अटल आवास योजना थी और आप लोगों ने उसको बदल कर राजीव आवास योजना कर दी है। जो इन्दिरा आवास योजना है इसके लिए केन्द्र सरकार आपको कितना पैसा देती है और प्रदेश सरकार इसमें कितना पैसा खर्च करती है? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि पिछले कुछ वक्त पहले इन्दिरा आवास की जो गाईड लाईन पहले होती थी उसमें कोई परिवर्तन किया गया है? अगर इसमें परिवर्तन किया गया है तो क्या परिवर्तन किया गया है? इसकी हमें प्रॉपर जानकारी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ऐसे पात्र लोग जिनका घर जल जाता है, बरसात में गिर जाता है और बर्फ में नुकसान हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या आप कोई प्राथमिकता सुनिश्चित करेंगे? अगर वे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कवर नहीं होते हैं तो राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आप उनको प्राथमिकता के आधार पर मकान देने का प्रावधान करेंगे? क्या उन गाईड लाईन्ज में ऐसा कुछ प्रोविजन करेंगे?

ग्रामीण विकाए एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है और जो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वार्षिक गाईड लाईन

31/1115/3.2015.जेके/एजी/2

जो हमारी पहले थी, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्रदेश के लिए श्रेणीवार लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पहले हमारे अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 60 प्रतिशत रिजर्वेशन थी। अन्य के लिए 40 प्रतिशत रिजर्वेशन थी, अल्पसंख्यक के लिए 15 प्रतिशत थी, अपंगता के लिए 3 प्रतिशत थी। पहले ये गाईड लाईन थी। उसके बाद वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्रदेश के लिए श्रेणीवार लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वयं निर्धारित किए गए। जबकि वर्ष 2013-14 से पूर्व भारत सरकार द्वारा केवल जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए

जाते थे जिनके आधार पर योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर श्रेणीवार लक्ष्य ही विभाग द्वारा जिलावार स्वयं तैयार किए जाते थे। ये गाईड लाईन चेंज की गई। जैसे कि आप वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा ही इसके लिए सक्षम है। ग्राम सभा के माध्यम से ही वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। इसके बारे में मैं सदन को जानकारी दे सकता हूँ कि जो सूची बी.पी.एल. परिवारों की सर्वेक्षण के आधार पर की गई है यह स्थाई प्रतीक्षा सूचियां वर्ष 2007के दौरान तैयार की गई थी। इन सूचियों में शामिल सभी लाभार्थियों और लाभान्वित होने के पश्चात यदि किसी ग्राम पंचायत में अभ्यर्थियों की संख्या समाप्त हो गई, कइयों में वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई है, तो उस अवस्था में विभाग ने भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2013 में पुनः जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। इन सूचियों के आधार पर आवास सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या को निकाला गया है। जैसे-जैसे भारत सरकार को लक्ष्य प्राप्त होते रहेंगे, वंचित परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत आवास हेतु फायदा दिया जाता रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि कहीं पर लैंड स्लाइड हो जाए। इसके बारे में मैंने पहले भी ज़वाब दिया है कि यदि कोई ऐसी बात हो जाती है तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। यदि उस पंचायत के अन्दर प्राथमिकता हो उसको पहले किया जाता है। जो आपने यहां पर राजीव आवास योजना की बात कही है उसमें अनुसूचित जाति के लिए इन्दिरा आवास योजना हमारी अनुसूचित जाति के

31/1115/3.2015.जेके/एजी/3

लिए ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार यह योजना अनुसूचित जाति के लिए आई थी। प्रदेश की जो हमारी अपनी योजना है उसमें हम बजट के हिसाब से इसमें पैसा देते रहते हैं। जो बजट हमें प्लान से आता है उसी हिसाब से हम पैसा देते रहते हैं। गाईड लाईन में जो परिवर्तन है वह केवल एलोकेशन में है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

31.03.2015/1120/SS-AG/1

प्रश्न संख्या: 1854 क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री क्रमागत:

क्योंकि एलोकेशन डायरेक्ट हमें केन्द्र सरकार से आई थी। जो आपने राजीव आवास योजना का प्रश्न उठाया है। इस वर्ष योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की लागत से 1333 घरों का निर्माण हो रहा है जो हम 2014-15 की बात कर रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति, उप-जाति में 223 लाख रुपये के बजट प्रावधान के अन्तर्गत 297 घर और अनुसूचित जाति उप-योजना में जो हमें पैसा मिला उसमें 111 लाख रुपये के बजट से 148 घर तथा सामान्य योजना में 666 लाख रुपये के बजट में से 888 घरों का निर्माण किया गया। प्रदेश में जहां-जहां हमें जितना पैसा मिलता गया, उसी हिसाब से हम घरों का आबंटन करते रहे।

प्रश्न समाप्त

31.03.2015/1120/SS-AG/2

प्रश्न संख्या: 1855

अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती सरवीन चौधरी, अनुपस्थित।

31.03.2015/1120/SS-AG/3

प्रश्न संख्या: 1856

अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गुलाब सिंह, प्राधिकृत श्री रविन्द्र सिंह।

श्री रविन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है इसमें इन्होंने बताया है कि पांच जिलों में आंशिक रूप से रतवा रोग पाया गया। ये पांच जिले कौन-से हैं? इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

आगे इन्होंने प्रश्न के "ख" भाग के परिशिष्ट-"क" में जानकारी उपलब्ध करवाई है कि समय-समय पर क्या-क्या मार्गदर्शन किसानों का करते रहे। उसमें इन्होंने कहा है कि हर जिले में डायग्नोस्टिक टीम का गठन किया गया है और समय-समय पर फसल के निरीक्षण की सलाह किसानों को दी जाती रही है। एक तो इस टीम के द्वारा कितने किसानों को समय-समय पर सलाह दी गई कि इसके कारण रतवा रोग हो सकता है? कितने किसानों को कब-कब इस टीम द्वारा सलाह दी गई? एक आपने आगे कहा है कि

50 प्रतिशत उपदान फफूँदनाशक दवाइयों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपने अभी तक प्रदेश में 11518 लीटर फफूँदनाशक दवाइयों का प्रबन्ध किया है व 2614 लीटर अभी भी स्टॉक में उपलब्ध है। बाकी डिस्ट्रिब्यूट कर दिया है। जो फफूँदनाशक शेष रह गया है यह कब तक डिस्ट्रिब्यूट करना है? आज इस वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है, कब तक आप इसको डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: आपका अंतिम प्रश्न क्या है?

श्री रविन्द्र सिंह: मैंने यह कहा कि फफूँदनाशक दवाइयों पर पूरा 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें आपने 11518 लीटर फफूँदनाशक दवाइयों का प्रबन्ध किया है व 2614 लीटर अभी भी स्टॉक में उपलब्ध है। अब यह सीजन तो खत्म हो रहा है तो कब तक आपने इसका डिस्ट्रिब्यूशन करना है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, पहला जो प्रश्न इन्होंने पूछा कि कौन-कौन से जिले हैं उसमें बिलासपुर में 5 हैक्टेयर को लगा था। हमीरपुर में एक हैक्टेयर, कांगड़ा में साढ़े 12 हैक्टेयर, मंडी में 10 हैक्टेयर, ऊना में आधा हैक्टेयर। यह कुल 29 हैक्टेयर है। इसकी ट्रीटमेंट कर दी गई है। यह कहा गया कि

31.03.2015/1120/SS-AG/4

यहां पर दवाइयां अभी तक खत्म नहीं की गईं, जब ज़रूरत होगी तो किसान ले जायेंगे। कुछ दवाई तो हमने डिस्ट्रिब्यूट कर दी और बाकी जब किसानों को ज़रूरत होगी तो वे ले जायेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसी में जो गाइडलाइन्ज़ दी हैं उसमें बहुत कुछ कहा है कि टीम का गठन किया गया है। मैंने उसके बारे में भी प्रश्न पूछा था कि उस टीम के द्वारा कितने किसानों को सलाह दी गई है। अगर आपने समय पर दवाई उपलब्ध करवाई होती तो 29 हैक्टेयर में जो किसानों की बरबादी हुई है शायद वह नहीं होती। जो सलाह देते हैं वह समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। मौसम खराब है। बरसातें हो रही हैं। आजकल तो मौसम विभाग महीने-महीने पहले बता देता है कि

मौसम खराब होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने समय पर दवाइयां क्यों उपलब्ध नहीं करवाई? यह उपलब्ध करवानी चाहिए थी।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बीमारी लगी। उन किसानों ने डिपार्टमेंट को कंटैक्ट किया। वहां पर जाकर ट्रीटमेंट दे दी गई और जो फसल 29 हैक्टेयर भी है वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान वहां पर भी कोई नहीं हुआ और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम खराब था तो सारे हिमाचल प्रदेश में रतवा रोग फैल जाता, नहीं फैला अच्छा हुआ।

प्रश्न समाप्त

31-03-2015/1125/केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्या: 1856 जारी---

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री जारी---

मौसम खराब था तो सारे हिमाचल प्रदेश में ही रतवा रोग फैल जाता। नहीं फैला, अच्छा हुआ।

प्रश्न समाप्त

31-03-2015/1125/केएस/जेटी/2

प्रश्न संख्या: 1857

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जो सूचना सभी पटल पर रखी गई है उसके अनुसार 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्रदेश की 241 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई हैं जिनके लिए 53204.99 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। विधान सभा क्षेत्रों का भी विस्तृत ब्यौरा आया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कें स्वीकृत हो रही हैं, वे उन्हीं गांव के लिए हैं जिनकी आबादी ढाई सौ और पांच सौ के बीच है? ढाई सौ और पांच सौ के बीच की आबादी के कितने और गांव बचे हैं जो कि सड़कों से वंचित है और जिन्हें इस योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़ना है? क्या कोई

ऐसा गांव भी बचा है जिसकी आबादी पांच सौ से ज्यादा है परन्तु अभी वह इस योजना से नहीं जुड़ सका है? अगर हां, तो उसके क्या कारण है:

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि जो दो साल का ब्यौरा विधान सभा क्षेत्र का दिया है, वैसे तो बहुत से विधानसभा क्षेत्र NII में आते हैं और मेरे नैना देवी विधान सभा क्षेत्र में भी 2013-14 में एक भी सड़क मंजूर नहीं हुई थी। 2014-15 में एक छोटी सड़क सिर्फ 51 लाख रुपये की स्वीकृत हुई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी नैनादेवी विधान सभा क्षेत्र की कितनी सड़कें ढाई सौ और पांच सौ के बीच की आबादी के गांव वाली प्रस्तावित हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़ा जाना है और कितनों की

31-03-2015/1125/केएस/जेटी/3

डी.पी.आर. तैयार हो कर केन्द्र सरकार को इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने के लिए भेज दी गई है?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनती हैं उनके उद्घाटन माननीय सांसद ही करते हैं या माननीय सांसद के कहने पर ही कोई और करता है?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह तो वैल-ऐस्टेब्लिश्ड नॉर्म हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कोई नई नहीं है। कई वर्षों से यह स्कीम चलती आ रही है और अभी भी जो नॉर्म है वह है: Norm remains 250 persons in hill States for coverage under PMGSY. कम से कम ढाई सौ की आबादी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो स्कीमें हैं, उसका मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में पूरा ब्यौरा दिया है कि कौन-कौन सी स्कीमें इसमें शामिल हुई हैं और यह लगातार प्रक्रिया है। यह नहीं है कि अभी है फिर और कोई नई खेप आएगी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल होने के लिए और हमारी कोशिश होगी कि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाएं और जो छोटे हुए क्षेत्र या सड़कें हैं, उनको भी हम आगे इसमें शामिल करें और इस वक्त जैसा मैंने आपको कहा है कि इसमें इस साल जो सड़कें हैं, उसके लिए प्रधान मंत्री ग्राम

सड़क योजना के अंतर्गत उनके निर्माण के लिए 532 04.99लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।

31-03-2015/1125/केएस/जेटी/4

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने जानना चाहा था कि इस योजना में ऐसे कितने गांव बचे हैं ढाई सौ और पांच सौ की आबादी के बीच के जो कि अभी तक सम्पर्क सड़कों से नहीं जुड़े हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र के कितने प्रस्तावित गांव हैं जिनकी डी.पी.आर. बनकर केन्द्र सरकार को चली गई है? तीसरा, मैंने पूछा था कि क्या सांसदों को जो अधिकार है, क्या प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है? तो मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब तो आया है, क्यों नहीं आया?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न पूछा था मैंने उसका पूरा जवाब दिया। जो इनकी सप्लीमेंट्री है इसके बारे में कहना चाहता हूं - Total works sanctioned for Bilaspur district: 114; completed: 101; sanctioned cost: Rs. 104.08 crore; and expenditure: Rs. 92.47 crore.

श्रीमती अ.व. द्वारा जारी-

31.3.2015/1130/ag/av/1

प्रश्न संख्या : ----- 1857क्रमागत

मुख्य मंत्री जारी-----

Total eligible habitation 250 plus and in Bilaspur connected upto 28.02.2015 are 387. जो सड़के इसमें आई है वह 491 हैं, बनकर तैयार हो चुकी सड़कों की संख्या 387 है और अनकुनेक्टिड अभी 104 हैं। The status of non-connected habitations being connected under State head उसमें से 5 स्टेट हैड में कुनेक्ट की जा रही है। श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार बिलासपुर के चारों विधान सभा क्षेत्रों के बारे में 'निल' उत्तर आया है। मैं यह जानना

चाहता हूँ कि क्या झण्डूता चुनाव क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 250 के नॉर्मर्ज पूरे हो चुके हैं इसलिए वहां के लिए कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है? अगर प्रस्तावित है तो उनके अभी तक सैंक्शन न होने के कारण क्या है या फिर क्या उनकी डी.पी.आर. अण्डर प्रोसैस है? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी झण्डूता चुनाव क्षेत्र की सूचना देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कभी नहीं कहा कि आपकी कोई प्रोसैस नहीं हुई है। जैसे मैंने पहले कहा कि बिलासपुर जिले में total works sanctioned for Bilaspur - 114. उसमें से 101 पूरी हो चुकी है और सैंक्शन्ड कॉस्ट 104.08 करोड़ रुपये है जिसमें से अभी तक 92.47 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। टोटल एलिजिबल हैबिटेशन 250 प्लस बिलासपुर 491 और दिनांक 28.2.2015 तक 387 कुनैक्टिड रोड्ज हैं। अभी अनकुनैक्टिड 104 हैं। Status of connected habitation being connected under State head is 5. DPR submitted in the year 2015-2016 is 5. DPR could not be prepared are 94 and serialwise Shri Naina Devi habitation - 29 and jeepable - 26, Jhandutta habitation - 39 and jeepable road - 32, Ghumarwin habitation - 18 and jeepable - 7, Sadar

31.3.2015/1130/ag/av/2

habitation - 8 and jeepable - 4. Total habitation - 94 and jeepable road is 69.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी ने बता दिया है। (---व्यवधान---) अभी सबमिट की हुई है।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, जबसे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई है माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो अभी वह सूचना दी है। मैंने केवल 2013-14 की सूचना मांगी थी, उसका उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी डी.पी.आर. बनने गई है।

श्री रिखी राम कौंडल : नहीं, नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताएं कि झण्डूता में कौन सी और कितनी डी.पी.आर. बनने को है।

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आप मुझे पत्र लिखिए मैं आपको एक-एक का नाम दे दूंगा। It cannot be covered by one question. (---व्यवधान---) सुनिए, डी.पी.आर. वहां नहीं बनी है जहां पर प्राइवेट लैण्ड और फॉरैस्ट एरिया इनवॉल्व्ड है। This is because of that, जहां डी.पी.आर. नहीं बन सकती। (---व्यवधान---) जो मैंने आपको सूचना दी है उसके अतिरिक्त 5 और डी.पी.आर. बिलासपुर जिले के लिए they have been posed for the year 2015-2016.

श्री बी जे द्वारा जारी

31.03.2015/1135/negi/ag/1

प्रश्न संख्या: 1857.. जारी..

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष जी,...(व्यवधान)...

अध्यक्ष: आपने सबसे ज्यादा प्रश्न किया है और आपको सबसे ज्यादा जवाब दिया गया है। आपको काफी समय दिया गया है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे से सूचना मांगी है उसका पूरा उत्तर दे दिया गया है और जो सप्लीमेंटरीज़ हैं उनका भी पूरा उत्तर दिया गया है। I can't give detail about every road. अगर यह चाहते हैं कि हमें सड़कों का अलग-अलग सूचना दे दीजिए, हम उसको भी दे देंगे।

अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप मुझे चिट्ठी लिखिए और मैं दे दूंगा।...(व्यवधान)... प्लीज़, यहां टाईम की लिमिटेशन होती है। You can write a letter to him. ____ (व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्मा: सर, सप्लीमेंटरी पूछने में दिक्कत क्या है ? मैंने दो बार सप्लीमेंटरी पूछा है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का उद्घाटन सांसद महोदय को करने का अधिकार

है? क्या प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है? इसपर वह चुप रहे। इससे यह नुकसान हो रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 7 सड़कें 13-2012 ,से पहले प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बन कर तैयार हैं और उनके उद्घाटन ड्यू है। हम विभाग को लिखते हैं कि सांसद से उद्घाटन रखो लेकिन विभाग उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहा है। इसके कारण न वे सड़कें पास हो रही हैं और न ही उन सड़कों पर बसें चल रही हैं। इसलिए मैंने पूछा था कि मुख्य मंत्री महोदय विभाग को आदेश दें कि उनका उद्घाटन सांसदों से करवायें ताकि जो सड़कें बनी है उनका लाभ लोगों को मिले। इसका तो जवाब ही नहीं आ रहा है, जबकि दो बार तो मैं पूछ चुका हूं। फिर प्रश्न लगाने का फायदा क्या है?

31.03.2015/1135/negi/ag/2

मुख्य मंत्री : आपका सप्लीमेंटरी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। It is an information. You have asked about construction. आपने यह नहीं पूछा है, उद्घाटन के बारे में इस सवाल के अन्दर कोई जिक्र नहीं है।(व्यवधान)... जवाब दे देंगे।

अध्यक्ष: आप अलग से प्रश्न पूछें। देखिए, don't waste the time of the House? ... (व्यवधान)...

माननीय मुख्य मंत्री जी हो गया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, there is no norm that till inauguration is done road will not be passed. Once the road is passed, it is open for traffic. ... (व्यवधान)... मुझे पता नहीं है । हमने किसी को नहीं रोका।(व्यवधान)....हमने किसी को उद्घाटन से नहीं रोका है। There is no norm about it. There is no norm that till inauguration is done road is not to be passed. Once the road is passed, it is open for traffic. That's all.

अध्यक्ष: आप इनसे अलग से बात कर लीजिए। आप अलग से मांग कर लें। यह क्वेश्चन नहीं है।(व्यवधान)....

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, डिलिमिटेशन के बाद सड़कें इधर-उधर हो गई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जो सड़कें एपीयर हुई हैं वह जसवां को चली गई और जसवां वाली सड़कें किसी और क्षेत्र को चली गई। मैं यह सप्लीमेंटरी करना चाह रहा था कि क्या आप इसकी शुद्धि कर देंगे? ये सारा आपके जवाब में है। जो रिपोर्ट आई है वह गलत आई है। मैं यह पूछना चाहता हूँ।.... (व्यवधान).... इसका भी सप्लीमेंटरी नहीं करने दे रहे हैं। माननीय सदस्यों का अपना-अपना अनुपूरक प्रश्न हो सकता है। यह स्टेट का प्रश्न है और इसमें आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष: यह कह रहे हैं कि हमने किसी को मना नहीं किया है, तो बात खत्म हो गई।

31.03.2015/1135/negi/ag/3

श्री रविन्द्र सिंह : मना तो नहीं किया, लेकिन जो यह सूचना दी गई है, डिलिमिटेशन के बाद जो क्षेत्र थोड़ा इधर-उधर हो गए हैं, इधर के उधर चले गये। जैसे आपने नेहरन-पुखर से कसवां-कवासन सड़क जसवां में डाल दी जो मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन डाल दी आपने यहां से वहां। यह एक जगह ही नहीं बल्कि काफी जगह ऐसा हुआ है। क्या आप इन अशुद्धियों को ठीक कर देंगे? मैं तो यह कहना चाह रहा था।

अध्यक्ष: सड़क तो वहीं रहेगी, सड़क तो चेंज नहीं होगी।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप भी अपनी लात ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। जब हमें जानकारी गलत मिल रही है तो फिर वहां पर सड़क कैसे रहेगी ?

अध्यक्ष: मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि road will remain there. बाकी इन्होंने कहा कि आप अलग से बात कर लें।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, इस समय देहरा विधान सभा क्षेत्र में इन दो सालों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोई भी सड़क नहीं है। कौन देगा इसकी सूचना?

मुख्य मंत्री : प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनी हैं। अब वह किसकी चुनाव क्षेत्र में है, यह तो अलग सवाल है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

31/1140/03.2015.यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या----1857जारी----

मुख्य मंत्री-----जारी-----

यह अलग सवाल है। यदि आप ये पूछते तो हम उसका जवाब भी देते। But we are talking about roads as they are. Maybe जब सड़कें बनीं और इनको स्वीकृति प्राप्त हुई तो किसी को उस वक्त स्वीकृति नहीं मिली, हो सकता है कि विजिबिलिटी के बाद यह हुआ। That does not matter. The road is road. जो यह प्रश्न है, it covers all the roads, no matter in which constituency they fall today. ...(व्यवधान)...

Speaker: It is not a part of the question. I will not allow.

माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप उठिए .. (व्यवधान)..

31/1140/03.2015.यूके/जेटी/2

प्रश्न संख्या 1858

श्री नरेन्द्र ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है, उसके मुताबिक कृषक मित्रों को योजना के तहत वेतन और मानदेय का कोई प्रावधान नहीं था। मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि 2010-2011 और 2011-12 में जो 29.17 लाख रुपए केन्द्र सरकार ने जारी किए वह किस परपज के लिए और कहां-कहां इनवैस्ट हुए? इसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए। साथ में मुझे यह भी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि वेतन और मानदेय का कोई प्रावधान नहीं था तो जब ये कृषक मित्र रखे गए थे तो क्या उस वक्त उनको बता दिया गया था कि आपकी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई पैसा नहीं दिया जायेगा ?

बहुदउदेश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, जिस वक्त ये रखे गए थे उस वक्त उनको क्यों नहीं बताया गया कि उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसके बारे में तो

में कुछ नहीं कह सकता, इसको पता करके बताऊंगा क्योंकि यह 4 साल पुरानी बात है । उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी । और जो इन्होंने पूछा कि केन्द्र से जो पैसा मिला वह कहां-कहां खर्च किया । वह शिमला में 3.63, हमीरपुर में 2.29 कांगड़ा में 7.60, बिलासपुर में 1.51, कुल्लू में 2.04, मंडी में, 4.73, ऊना में 2.35, चम्बा में 2.83, सिरमौर में 2.28 लाख रुपए, सोलन में 2.11, किन्नौर में 0.63, लाहौल-स्पिति में 0.41 लाख रुपए । उपरोक्त सारी राशि लाखों में है ।

श्री नरेन्द्र ठाकुर: अध्यक्ष जी, मैंने यह भी पूछा था कि यह किस परपज़ के लिए खर्च किया गया ? पैसों को खर्च करने का परपज़ क्या था ?

बहुदउदेश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, यह इनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया गया है । अध्यक्ष महादय, दरअसल बात यह थी कि जिस वक्त इन कृषक मित्रों को रखा गया था, ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से रखे गए थे और जो रखे जाने

31/1140/03.2015.यूके/जेटी/3

थे वे बड़े ऐक्सपर्ट मतलब नामी गिरामी एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर से काफी वाकफित रखते थे ताकि वे बाकी फार्मर्स को भी समझाएं । उसकी ट्रेनिंग विभाग ने देनी थी । तो इनको तो विभाग ने मुफ्त में एक किस्म का एग्रीकल्चर इंस्पैक्टर बना देना था और उसकी एवज में इन्होंने उस वक्त जाने-माने लोगों से जान-पहचान भी रखनी थी और उनको भी कुछ बताना था । यह था इसका परपज़ । यह कोई स्कीम या योजना नहीं थी । लेकिन अब तो ये हाई-कोर्ट में गए हुए हैं, वहां पर केस सब-ज्युडिस है । उसके बाद ही फैसला होगा ।

31/1140/03.2015.यूके/जेटी/4

प्रश्न संख्या-1859

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गयी है, उसमें मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उर्दू व पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू की गयी थी ?

31.03.2015/1145/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1859...जारी

श्री सुरेश कुमार ...जारी

नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? क्या इसके लिए कोई अलग से आर.एंड पी. रूल्ज बने थे? क्या यह सत्य नहीं कि इनकी नियुक्ति कॅंट्रैक्ट पर होनी थी जबकि पीरियड आधार पर की गई है? इनमें 34 भाषा अध्यापक उर्दू के तथा 72 भाषा अध्यापक पंजाबी के रखे गए हैं। सरकार अन्य स्कूलों में कब और कितने ऐसे उर्दू और पंजाबी के अध्यापक रखने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आदेश दिया था कि 100 अध्यापक उर्दू और 100 अध्यापक पंजाबी भाषा के रखे जाएं। मगर अभी तक उर्दू भाषा के 34 तथा पंजाबी भाषा के 72 अध्यापकों को पीरियड आधार पर चिन्हित पाठशालाओं में रखा गया है। पाठशालावार ब्योरा आपके प्रश्न के उत्तर के साथ लगा हुआ है। हम चाहेंगे कि जल्दी-से-जल्दी इनकी संख्या, दोनों भाषाओं में 100-100, हो। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको और कितना बढ़ाया जा सकता है।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इनको कॅंट्रैक्ट पर लगाने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री : अभी पीरियड आधार पर हैं। आगे क्या करना है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी; इन्होंने बताया कि 34 अध्यापक उर्दू भाषा के रखे गए हैं। मुख्य मंत्री जी चम्बा के दौरे पर आए थे और मेरी जानकारी के मुताबिक जो उर्दू बाहुल्य क्षेत्र हैं, वह सबसे ज्यादा चम्बा जिला में हैं, विशेषकर भांगल किहार, तीसा और चम्बा के क्षेत्र के आसपास। चम्बा में कुल 5 स्कूलों में आपने उर्दू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। आपसे

बहुत बड़ा डैलिगेशन सलूणी में भी मिला, तीसा में भी मिला और चम्बा में भी मिला। आपने कुछ स्कूल अनाऊंस भी किए थे। जो स्कूल आपने अनाऊंस किए थे कि उनमें

31.03.2015/1145/sls-ag-1

आप उर्दू विषय चालू करने के आदेश देंगे? दूसरे, डलहौजी शहर पूरी तरह पंजाब से आया है और पहले वहां पंजाबी सब्जैक्ट पढ़ाया जाता था जो कि बंद कर दिया गया है। क्या डलहौजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पंजाबी के विषय को इंट्रोड्यूस करने का आप आदेश देंगे?

Chief Minister: This is a suggestion for action and Government shall consider it.

श्री किरनेश जंग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 100-100 अध्यापक उर्दू और पंजाबी के लगाने का निर्णय लिया है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोहम्मडन और पंजाबी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां बहुत से स्कूल खाली हैं, क्या वहां पर भी ऐसे अध्यापक लगाए जाएंगे?

मुख्य मंत्री : अभी 100-100 अध्यापक उर्दू के और पंजाबी के रखने का निर्णय लिया है। The matter is already under constant review. जहां और जगह भी उर्दू और पंजाबी विषय की मांग होगी, उसको सरकार सहानुभूति से देखेगी।

समाप्त

31.03.2015/1145/sls-ag-3

प्रश्न संख्या : 1860

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण योजना मनरेगा, जो यू.पी.ए. की केंद्र सरकार के समय शुरू हुई थी, आज यह योजना इस प्रदेश में बहुत खराब दौर से गुज़र रही है। अध्यक्ष महोदय, एक वक्त था जब मनरेगा के अंतर्गत हम 600 करोड़ रुपया भी इस हिमाचल प्रदेश में खर्च कर चुके हैं। उस वक्त डेली भी कम थी। लेबर बजट जो हमने प्रोपोज किया था, उसके मुताबिक हमने खर्च भी किया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है,

31/03/2015/1150/RG/AG/1

प्रश्न सं. 1860 क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर-----क्रमागत

लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि 'दिनांक 30 3.2015.तक 402.68 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।' अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रश्न किया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदेश सरकार ने मनरेगा में कुल कितना लेबर बजट केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा था ,तो इसमें उत्तर दिया गया है कि 'वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत 390.40 लाख कार्यदिवस अर्जित करने के लिए 907.20 करोड़ रुपये का लेबर बजट केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए पंचायतों द्वारा एम.आई.एस. पर अपलोड किया गया था।' आपकी ही सरकार ने यह जो लेबर बजट प्रस्तावित किया ,फरवरी माह में बैठक होती है उस बैठक के मेरे पास मिनट्स भी है ,minutes of the Empowered Committee held on 10 February, 2014 to scrutinize and discuss Labour Budget of the State of Himachal Pradesh for the year of 2014-15.

Speaker : Please put your supplementary.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह लम्बा प्रश्न है और इस पर थोड़ी बात करनी पड़ेगी। इसलिए आज आप बात करने दें। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं और आपने उत्तर में कहा है कि हमने जो पैसा 390.40 लाख कार्यदिवस अर्जित करने के लिए मांगा था उसकी जगह केन्द्र सरकार ने 276.80लाख कार्यदिवस अर्जित करने हेतु लेबर बजट की स्वीकृति प्रदान की है। इन्होंने 907.20 करोड़ रुपये मांगा था और केन्द्र सरकार द्वारा 670.71करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जानी थी। परन्तु आपने उत्तर में कहा है कि सितम्बर, 2014 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय राशि को कम करके मु. 355.43 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह जो सितम्बर महीने का जिक्र उत्तर में किया गया है

और वर्तमान केन्द्रीय सरकार के ऊपर आपने यह आरोप लगाने की कोशिश की है, तो कृपया आप यह बताएं कि सितम्बर के महीने तक आपकी एम.आई.एस. क्या थी, आपने एम.आई.एस. के तहत कितना लेबर बजट केन्द्र से ऐन्टर किया और उसके तहत आपको कितना पैसा खर्च करने

31/03/2015/1150/RG/AG/2

के लिए केन्द्र सरकार से मिला? पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ फिर आगे की बातें होंगी।

अध्यक्ष : अब इस पर कोई सप्लीमेंट्री नहीं करेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने उत्तर में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मनरेगा के अन्तर्गत 390.40 लाख कार्यदिवस अर्जित करने के लिए लेबर बजट का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था जिसमें हमें 907.20 करोड़ रुपये आने थे, परन्तु जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में, मेरे पास आंकड़ें हैं यदि ये चाहेंगे, तो मैं इन्हें सभा पटल पर रख दूंगा, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिनांक एक अक्टूबर को पत्र लिखा और उसमें इस बात का जिक्र किया कि हमारा जो पिछली साल का लेबर बजट था उसके अन्तर्गत हम ऑलरेटी 571.22 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। अर्थात् हमने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 103 प्रतिशत अचीव किया है। क्योंकि जो माननीय सदस्य ने कहा, तो सितम्बर, 2014 को जो हमारे विभागीय अधिकारी वहां गए, उन्होंने कहा कि अब पूरे प्रदेश में 52 प्रतिशत का कट लगाया गया है और अब आपको मात्र 355 करोड़ रुपये ही इसमें मिलेंगे। जबकि इसके पश्चात मनरेगा के अन्तर्गत जो हमने लेबर बजट प्रपोज़ किया था उसके अधीन पैसा कम मिला। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने 600 करोड़ रुपये का खर्चा किया है। हम मानते हैं कि मनरेगा के अन्तर्गत खर्चा आपके फण्डज पर डिपेण्ड करता है कि आपके पास फण्डज कितने हैं। इसके अतिरिक्त अखबारों में भी यह समाचार आता रहा है कि मनरेगा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से धीरे-धीरे पैसा नहीं आ रहा है जिसके कारण हमारे काम भी कम हुए और जो स्टेटमेंट मैंने अभी हॉऊस में दी है उसमें मैंने कहा कि हमने बैलेन्स 90 करोड़ रुपये और इस साल के लिए प्रस्तावित मांगा है। क्योंकि जैसे ही हमारी एन.डी.ए. सरकार केन्द्र में आई,

मनरेगा की बात हमेशा चलती रही कि मनरेगा बन्द हो रहा है या चल रहा है। कई तरह से इसका प्रचार होता रहा और अखबारों के माध्यम से यह सुनने में आता रहा और अभी केन्द्र सरकार में भी अधिकारी पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि यह स्कीम चलेगी या फिर इसका क्या होगा। जिसकी वजह से यह जो लायबिलिटी क्रियेट करते जाते हैं, इसमें आप स्वयं जानते हैं कि जो प्रदेश सरकार के ऊपर लायबिलिटी आती है---जारी एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2015/1155/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 1860क्रमागत--ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी-----

जो प्रदेश सरकार के ऊपर लायबिलिटी आती, इसलिए लायबिलिटी ज्यादा न हो और इसमें हमने बचे हुए काम क्योंकि पिछले समय के अंदर कुछ काम रह गए थे। क्योंकि प्रधान लोग नये काम शुरू कर देते थे और पुराने काम वे नहीं करते थे। हमने ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए कि पहले पुराने काम खत्म करें, तब नये काम शुरू किए जाएं ताकि पुराने काम खत्म हों। इसलिए सितम्बर 2014, की मीटिंग के बाद काम की रफ्तार को कम करना पड़ा। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और जो उससे पहले की सूचना मांगी है, वह अभी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष जी, मैं इसलिए सितम्बर की सूचना को मांग रहा था क्योंकि सितम्बर के बाद हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और वर्किंग सीजन लगभग फेगएण्ड पर आता है। नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में मनरेगा के अंतर्गत बहुत कम खर्च होता है। इसलिए अगर यह आंकड़े आ जाते तो हमें क्लियर हो जाता कि आपकी यू0पी0ए0 की सरकार ने आपको यहां तक कितना पैसा दिया? हमारी सरकार तो अभी आई है और इसका अभी 10-9महीने का कार्यकाल हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि बहुत सारे ब्लॉक्स में ऐसी परिस्थिति है कि मनरेगा के अंतर्गत जो लेबर बजट है, जो लेबर को पेमेंट मिलनी थी, वह पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, मैं मंत्री जी को यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह तो डिमाण्ड ड्रीवन स्कीम है। जितना खर्चेंगे उतना पैसा आपको केन्द्र से मिलेगा। यह एक ऐसी योजना है जिसमें जितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं, करें किन्तु एम0आई0एस0 में एंट्री प्रौपर होनी चाहिए क्योंकि उसके अनुसार आपको केन्द्र सरकार पैसा देती है। लेकिन सबसे

बड़ी मुश्किल मुझे लगता है कि एम0आई0एस0 की है और इसीलिए मैं पूछ रहा था कि एम0आई0एस0 कितनी हुई? मैं मंत्री जी से एक बात यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसका जिलावार ब्यौरा दे सकते हैं कि आपने लेबर बजट जिलावाइज क्या प्रपोज किया था और उसके बाद आपने उसमें से कितना खर्च किया? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह

31/03/2015/1155/MS/AG/2

भी जानना चाहता हूँ कि ब्लॉक्स में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत सारे ब्लॉक्स में दो-दो सालों से, जब से आपकी सरकार आई है, मजदूरों को उनकी दिहाड़ी नहीं मिल पा रही हैं। उनकी लेबर का पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनको वह पैसा मिल सके? इसके साथ-साथ अगर आपके पास पूरी डिटेल्स हैं जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग और महिलाएं हैं इसमें आपने कितने कार्य दिवस जनरेट किए हैं? इसकी क्या आप डिटेल्स दे सकते हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यदि जिला मण्डी की भी बात करें तो सिराज ब्लॉक में इसी वर्ष 23 करोड़ 45 लाख रूपया खर्च हुआ है जोकि सबसे ज्यादा है। मैं इनको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर इसमें आंकड़ों के हिसाब से देखें, तब भी इसमें आपको तथ्य नजर आएंगे। क्योंकि जो सिराज ब्लॉक की बैलेंस पेमेंट है, वह केवल मात्र 12 प्रतिशत है जो एम0आई0एस0 में अपलोड हुई है। इसलिए आपके ब्लॉक में ज्यादा पैसा लगा है। अगर आप देखें तो कई ऐसे ब्लॉक भी हैं जहां अभी तक, यदि मैं बल्ह ब्लॉक की बात करूं तो यहां 17.50 प्रतिशत पैसा, जितना लगा उसके अनुरूप 17.50 प्रतिशत अभी पेमेंट देने को है। सभी ब्लॉक्स की ऐसी हालत है। परन्तु आपके ब्लॉक की हालत सबसे बेहतर है। गोपालपुर ब्लॉक में केवल 10 प्रतिशत पेमेंट करने को बची है। इसलिए आपके वहां ज्यादा पैसा लगा है। जो वर्ष 15-2014 का आपने पूरे प्रदेश का कहा है। मैं चम्बा जिला की बात करूंगा क्योंकि जवाब बहुत डिटेल्स में हैं। वहां टोटल रूरल हाउस होल्ड 11,1933 हैं। जॉब कार्ड 1,4857 इश्यू हुए और प्रोजेक्टिड एम्प्लॉई डिमाण्ड 55,661 थी और प्रोजेक्टिड मेनडेज (mandays), टोटली एक स्टेट के कहुंगा, क्योंकि इसमें 39 0.40 लाख हमारे प्रोजेक्टिड मेनडेज वर्ष 15-2014 के अंदर जनरेट किए गए हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

31/1200/3.2015.जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्या: 1860--जारी----

ग्रामीण विकास एवं पंजायती राज मंत्री:-----जारी-----

15-14के अंदर किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरे स्टेट के बारे में पूछा है। बिलासपुर के अन्दर यदि हम जिला की बात करें तो हमारे मस्ट्रोल जो हमारी पेंडिंग पेमेंट है, -/28,881 रूपए मस्ट्रोल की पेमेंट पूरे प्रदेश के अन्दर की है और इसके लिए अभी 63 करोड़ रूपए देनदारी भी बची हुई है।

प्रश्नकाल समाप्त।

31/1200/3.2015.जेके/जेटी/2

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री जी कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV(अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: टी.एस.एम.-ए(1)-1/2012 दिनांक 17.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.03.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष: अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री, कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005की धारा (4)48 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

31/1200/3.2015.जेके/जेटी/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्ष: अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ :-

- (i) समिति का 102 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 273वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 103 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 278वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति के 99वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 131वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

- (iv) समिति के 283वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 22वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

31/1200/3.2015.जेके/जेटी/4

निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष: अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ :-

1. समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि जिला चम्बा में एन0टी0पी0सी0 द्वारा निर्मित परियोजना चमेरा-III द्वारा किए जा रहे मक डम्पिंग से धरवाला गांव में हो रहे नुकसान पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है; और
2. समिति के 37वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है।

31/1200/3.2015.जेके/जेटी/5

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान:-

अध्यक्ष: अब वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान जारी रहेगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर आगे चर्चा एवं मतदान होगा, क्योंकि आज चर्चा का अन्तिम दिन है। इसलिए आज ही विनियोग विधेयक पुरःस्थापित, विचार एवं पारण भी होगा। पक्ष और विपक्ष की सहमति के अनुरूप मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-1973 के नियम 1996 (7) के अन्तर्गत आज स्वयं साढ़े तीन बजे गिलोटिन लगा दिया जाएगा।

अब मैं मांग संख्या: 9, जिस पर पिछले कल चर्चा शुरू हो चुकी थी, अब आगे उस चर्चा को श्री बिक्रम सिंह, माननीय सदस्य जारी रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या:9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ऊपर कल से चर्चा चली है। मैंने यहां पर यह कहते हुए कि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने जब अपना पहला बजट पेश किया था तो उस समय यह कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर मेडिकल कॉलेज टांडा और शिमला में एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ा दी जाएंगी 200 ,से 300 कर दी जाएगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस समय धूमल जी की सरकार थी उस समय सीटें केवल 115 थी और उसके बाद 115 से बढ़कर एम.बी.बी.एस. की सीटें 200 हुईं और एम.डी. की सीटें 39 से बढ़ कर 149 हुईं। लेकिन ढाई साल के बाद भी जो हमारी वर्तमान सरकार है उसके द्वारा एक भी सीट एम.बी.बी.एस. की और एक भी सीट एम.डी. की नहीं बढ़ा पाए हैं, उसका क्या कारण है? आज हमारे आस-पास रीज़नल हॉस्पिटल बहुत कम है। लेकिन एक नया ट्रेंड बन गया है कि रीज़नल हॉस्पिटल के माध्यम से रोगी वहां पर इलाज करवाने जाते हैं और वहां से रोगियों को रैफर करवाने का काम चल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने

31/1200/3.2015.जेके/जेटी/6

माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में कल भी दवाइयों के बारे विषय लाया था कि जो डॉक्टर हैं वे जैनरिक दवाइयां नहीं लिखते हैं लेकिन जो बहुत मंहगी दवाइयां होती हैं उनको लिखते हैं। आज प्रदेश के अन्दर बहुत सी ऐसी केमिस्ट शॉप्स हैं उन शॉप्स पर काम करने वाले व्यक्ति के पास लाईसेंस नहीं होता है। लाईसेंस किसी और का होता है और शॉप में दवाई देने वाला व्यक्ति कोई और होता है। अगर उसकी वज़ह से कोई गलत दवाई मरीज को चली जाएगी तो कुछ हादसा हो सकता है। जो हमारी ऐसी शॉप्स हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए और अगर कहीं पर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उन शॉप्स को बन्द कर देना चाहिए या उनके लाईसेंस रद्द कर देने चाहिए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

31.03.2015/1205/SS-AG/1

श्री विक्रम सिंह क्रमागत:

उन शॉप्स को बंद करना चाहिए, उनके लाईसेंस रद्द करने चाहिए। कई बार यहां आया है कि बहुत-सी पी०एच०सी० ऐसी हैं, जिनका काम शुरू नहीं हुआ। मेरे कुछ माननीय सदस्यों का इसमें (कटौती प्रस्ताव) नाम नहीं हैं लेकिन उनके विधान सभा क्षेत्रों के अंदर जैसे अभी पच्छाद के बारे में आया है कि पी०एच०सी० नैनाटिक्कर का शिलान्यास 2010 में हुआ परन्तु काम आज तक शुरू नहीं हुआ। पी०एच०सी०, चलोग का शिलान्यास 2012 में हुआ लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ। पी०एच०सी०, फागू का उद्घाटन 2014 में हो गया है लेकिन उसका काम अभी अधूरा है। इसी तरीके से एक पी०एच०सी०, क्यारीगुना में मात्र एक डॉक्टर है। छः पिछड़ी पंचायतें उसके साथ लगती हैं लेकिन वहां के डॉक्टर को भी सी०एच०सी०, शिलाई में डिप्यूट कर दिया जाता है और पी०एच०सी० खाली रहती है। जो पी०एच०सी० पिछड़े इलाकों के अंदर हैं वहां पर इस प्रकार से डॉक्टर का डैपुटेशन बंद करना चाहिए।

स्वाइन फ्लू के बारे में भी यहां पर बात आई है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह गम्भीर विषय है। गम्भीर बीमारी है और जो आंकड़ें आप प्रश्नों के माध्यम से दे रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। आज भी समाचार पत्रों के अंदर आया है कि किसी मरीज की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। जिस प्रकार का यह रोग है उसके प्रति हैल्थ डिपार्टमेंट

गम्भीरता दिखाते हुए लोगों को पूर्ण जानकारी दे कि हमें क्या-क्या इसके बारे में करना चाहिए। इसके बारे में भी मंत्री महोदय ध्यान देंगे। हमारे जिला कांगड़ा में अगर कोई गम्भीर समस्या आती है तो केवल टांडा मेडिकल कॉलेज है जहां पर हम लोग अपने मरीजों को भेज सकते हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में क्या है, वहां पर किस-किस प्रकार की कमियां हैं मैं उनके बारे में आदरणीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो वहां पर इंडोर पेशेंट की एडमिशन होती है जब उनको एम0आर0आई0 करवानी पड़ती है, सी0टी0 स्कैन करवाना पड़ता है या अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है तो जैसे मरीज आज दाखिल हो गया, उसको 6-7 दिन का टाइम दिया जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस समय तक एम0आर0आई0 नहीं होगी, सी0टी0 स्कैन नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तब तक डॉक्टर रोग को डाइग्नोज नहीं कर पायेगा। इसलिए यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। वहां पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। अगर वहां पर

31.03.2015/1205/SS-AG/2

कोई इंडोर पेशेंट है जिस दिन वह दाखिल होता है उसी दिन उसका अल्ट्रासाउंड, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 या जिस टैस्ट की भी जरूरत है वह तुरन्त होना चाहिए।

आपने वहां पर प्राइवेट वार्ड का किराया 500 रुपये रखा था। पिछले दिनों आपने मीटिंग की है उसमें आपने प्राइवेट वार्ड का किराया 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया है। माननीय मंत्री जी के ध्यान में मैं यह बात लाना चाहूंगा कि जो प्राइवेट वार्ड में आपके कमरे हैं उनके बाथरूम में गीजर नहीं लगा हुआ। अगर किसी मरीज को गर्म पानी की जरूरत पड़ती है तो उसे बाहर से लाना पड़ता है। आपने कमरे का किराया 500 रुपये से हजार रुपया तो कर दिया लेकिन उस हजार रुपये के अगेंस्ट उनको वैसी सुविधा भी मिलनी चाहिए। आप टांडा मेडिकल कॉलेज में जाते रहते हैं, वहां पर आप एक चक्कर जरूर लगाएं ताकि आपको पता लगे कि वहां पर जो टॉयलैट्स हैं उनकी क्या हालत है। वहां पर ठीक-ठाक व्यक्ति भी जायेगा तो वह बीमार हो जायेगा। इसलिए इसकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए। इमरजेंसी में वही मरीज जाता है जो गम्भीर होता है, जिसको ज्यादा समस्या होती है। वहां पर आपने पी0जी0 स्टूडेंट्स बिठाये हैं। आपने वहां पर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं बिठाया होता और

पी0जी0 स्टूडेंट्स बाहर से गए हुए मरीज को डील करते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो इस प्रकार से बाहर से रैफर होकर मरीज टांडा के लिए जाते हैं उनको सीनियर डॉक्टर देखें। अब तो हमारी तरफ के लोग पी0जी0आई0, आई0जी0एम0सी0 की तरफ न जाते हुए टांडा में जाते हैं अगर इमरजेंसी में अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान होगा। वहां पर एक और गम्भीर समस्या है कि टांडा के अंदर कोई सराये नहीं है। अगर किसी मरीज के साथ अटेंडेंट जाता है तो उसको बाहर सोना पड़ता है। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने बड़े संस्थान बना रहे हैं तो रहने की व्यवस्था भी वहां पर की जाए। एक वहां पर और कमी देखने में आई है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत इंडोर पेशेंट आते हैं उन इंडोर पेशेंट का कोई ऑपरेशन होता है तो इनके पैकेजिज़ आपने अलग-अलग रखे हैं। हरनिया का ऑपरेशन होना है तो उसको 7 हजार रुपया देंगे। 7 हजार में उसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर उसका 7 हजार से ऊपर खर्चा आता है, जो दवाइयां वहां पर लिखी जाती हैं अगर उसका खर्चा ऊपर आता है तो उसका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बैलेंस पैसा बचा है उस पैसे में से आप ऊपर का खर्चा नहीं काटते।

31.03.2015/1205/SS-AG/3

उस गरीब को अपनी जेब में से पैसे देने पड़ते हैं। इस प्रकार की जो एनाॅमली है इसको दूर किया जाए। अगर उसके खाते के अंदर पैसा है, मान लो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 30 हजार रुपया है अगर 7 हजार से 3 हजार ज्यादा पैसा खर्च हो गया तो वह 3 हजार रुपया वहीं से काटा जाए। उसकी जेब में से न लिया जाए। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर पोस्ट-मार्टम हाउस का फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे।

जारी श्रीमती के0एस0

31-03-2015/1210/केएस/एजी/1

श्री बिक्रम सिंह जारी---

अभी पिछले दिनों मा0 मुख्य मंत्री जी वहां पर पोस्टमॉर्टम हाऊस का फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने टांडा में जमीन डोनेट की है, उनके बच्चों को एम.बी.बी.एस. की मैरिट के आधार पर सीट आरक्षित की जाएगी

लेकिन इसको अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। पालमपुर एग्रिकल्चर युनिवर्सिटी के अंदर आप जानते हैं कि वहां पर साथ लगती दो पंचायतों में से आज भी इस प्रकार का सिस्टम वहां पर उन्होंने चलाया हुआ है। वहां पर जो बच्चे हैं, मैरिट के आधार पर आरक्षण उन दो पंचायतों के बच्चों को मिलता है इसलिए जो बात मुख्य मंत्री जी ने टांडा में कही है उसको अमलीजामा पहनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले भी प्रश्नों के माध्यम से बताया है कि कहां-कहां, कितनी-कितनी पोस्टें खाली है। मैं आज भी आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि पी.एच.सी. संसारपुर टैरेस को आपने ई.एस.आई. में बदल दिया है। वहां पर इंडस्ट्रीयल एरिया है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है लेकिन आपने वहां पर केवल एक आयुर्वेदा डॉक्टर बिठाया है। वहां पर न कोई एक्सरे मशीन है न कोई और टैस्ट हो सकते हैं। पी.एच.सी. के नाम पर वहां बजट है, आपने पी.एच.सी. को ई.एस.आई. में बदल दिया और वहां पर बजट है, क्या उस बजट को वहां पर लगाएं या पी.एच.सी. को वैसे ही रहने देंगे? सी.एच.सी. डाडासीबा में दो डॉक्टर हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक विचित्र सी बात है कि सी.एच.सी. डाडासीबा, पी.एच.सी.

31-03-2015/1210/केएस/एजी/2

कस्बा कोटला, पी.एच.सी. पीरस्लूई तीन जगह पर आपने एक्सरे की मशीनें प्रोवाईड करवाई है और तीनों जगह पर रेडियोग्राफर नहीं है। कृपया इसकी तरफ ध्यान दें। रक्कड़ में आपने लेडी डॉक्टर लगाई है, मैंने पहले भी आपके ध्यान में लाया था, मैंने परागपुर में बताया था कि डॉ० मीनाक्षी का आपने डैपुटेशन कर दिया लेकिन आपने कहा कि आजकल रुका है। इसी तरीके का एक डैपुटेशन कोई ई-मॉक ट्रेनिंग होती है, उसके लिए उसको भेज दिया। पी.एच.सी. रक्कड़ में मुझे नहीं लगता कि डिलीवरी वगैरह हो सकती है लेकिन वहां डॉक्टर को आपने इस काम के लिए भेज दिया है। आपके माध्यम से विभाग को मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा में जिस समय विधायकों की तरफ से यह प्रश्न किया जाता है कि डैपुटेशन कैंसल किए जाएं, बन्द किए जाएं, जितनी देर विधान सभा चलती है, उतनी देर डैपुटेशन रुका रहता है जैसे ही विधानसभा खत्म हो जाती है, वह काम दोबारा शुरू हो जाता है। फिर जब हम वहां के बड़े ऑफिसरों को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया तो कहते हैं कि ये तो स्पेशलिस्ट

डॉक्टर थे इसलिए इनको यहां से बदलना पड़ा। जिस समय आपने उनको वहां लगाया, उस समय क्या आप सो रहे थे? जिस समय आप मैडिकल ऑफिसर वहां लगाते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैडिकल ऑफिसर पी.एच.सी. में चलेगा, कौन सा सी.एच.सी. में चलेगा और कौन सिविल हॉस्पिटल में चलेगा इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखें। सिविल हॉस्पिटल गरली एक ही सिविल हॉस्पिटल जसवां-परागपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर है। एफ.आर.यू. हमारा केवल देहरा के अंदर है और इसके अलावा यहां पर कोई एफ.आर.यू. नहीं है। मैं चाहूंगा कि सिविल हॉस्पिटल गरली में जिस प्रकार से कल आपने अपने जवाब में

31-03-2015/1210/केएस/एजी/3

बोला है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर इतने डॉक्टर होते हैं, इतना स्टाफ होता है, वहां पर इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है केवल दो डॉक्टर है। मैं चाहूंगा कि उसको अपग्रेड किया जाए, ठीक किया जाए ताकि वहां लोगों को सारी की सारी सुविधाएं मिल सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल भी आपने मुझे बोलने का समय दिया, आज भी मैंने अपनी बात पूरी की है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जो कमियां हैं, जिसके कारण हमने यह कटौती प्रस्ताव दिया है, मैं चाहूंगा कि इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए और इनको ठीक किया जाए। धन्यवाद।

31-03-2015/1210/केएस/एजी/4

अध्यक्ष: अब श्री रविन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। कल तो इनका नाम नहीं था लेकिन आज इनका भी नाम इसके लिए आ गया है अतः ये भी चर्चा में भाग लेना चाहेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कल से स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उनके ऊपर चर्चा चल रही है। मेरा भी कटौती प्रस्ताव इसके ऊपर रहा है। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

31.3.2015/1215/ag/av/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी-----

इसके ऊपर मेरा कटौती प्रस्ताव भी आया है। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह सही कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं और उनका स्तर कैसा है। मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि जब स्वास्थ्य विभाग खुद ही अस्वस्थ है तो प्रदेश की जनता का हाल क्या होगा, यह आप खुद सोच सकते हैं। जब भी कोई नई सरकार आती है तो वह प्रदेश में हर क्षेत्र / हर विभाग में अपने-अपने ढंग से काम करने की कोशिश करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने इस कार्यकाल के तीन बजट पेश कर चुके हैं। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में या तो थोक में नये संस्थान खोल दिये या फिर बहुत से संस्थानों को स्तरोन्नत कर दिया मगर उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। वहां पर इधर-उधर से डॉक्टर लगा दिए। इन संस्थानों में डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। यदि किसी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. किया है तो वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर भी संस्थान के स्तरोन्नत होने के हिसाब से होना चाहिए। मगर उनमें वह व्यवस्था नहीं की गई। केवलमात्र घोषणा करके या बाहर बोर्ड लगाने से लोगों को उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कहीं भी कोई संस्थान खोलने से पहले उसकी व्यवस्था बजट में करें। अगर आप बजट में व्यवस्था करेंगे तो जो सारी चर्चाएं कटौती प्रस्ताव या अन्य माध्यम से यहां पर हुई हैं वह शायद न हो। आपने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि आपके विभाग में लगभग 2700 पद रिक्त चले हुए हैं जिनमें से 317 पद डॉक्टर के हैं। उसके बावजूद आपने नये संस्थान खोल दिए। आपको एक डॉक्टर 4-5 साल बाद मिलता है तथा उस समय तक और रिटायरमेंट आ जाती है। आज ही पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5000 से अधिक रिक्तियां होने वाली हैं तथा 15 व 16 अप्रैल, 2015 तक आपकी नई योजना के अनुसार और पद खाली हो जायेंगे। आपको इन रिक्तियों को भरने के लिए बजट पेश करने से पूर्व ही एक डाटा कुलैक्ट

31.3.2015/1215/ag/av/2

करना चाहिए। आपको यह पहले देखना चाहिए कि आने वाले साल में हमारे विभिन्न विभागों में कितनी रिक्तियां होने वाली है। उस साल में विभिन्न विभागों के अनुसार

आपको पहले से उन रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में स्टाफ की कमी न रहे। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक परम्परा चल पड़ी है। हमारे जो अच्छे संस्थान है चाहे शिमला, पालमपुर, धर्मशाला, बिलासपुर यानि जो जिला मुख्यालय हैं वहां डॉक्टरज ओवर एण्ड एबव बैठे हुए हैं। यहां पर बिक्रम सिंह जी ने सही कहा है कि आप सत्र के दौरान तो डैपुटेशन भी खत्म कर देते हैं। जहां पर सरप्लस डॉक्टर होते हैं वे उस दौरान छुट्टी चले जाते हैं और छुट्टी काटने के बाद उस स्थान पर दोबारा से ज्वाइन कर जाते हैं। मैंने धर्मशाला में सत्र के दौरान कहा था कि मसरूर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उस मंदिर को देखने के लिए पर्यटक विदेशों से आते हैं। मैंने वहां पर तैनात डॉक्टर के बारे में कहा था जो कि पालमपुर में प्रैक्टिस करता है। आपने उस समय तो कार्रवाई कर दी। वह डॉक्टर अभी तक पालमपुर में प्रैक्टिस कर रहा है, वह कहां पर तैनात है यह मुझे मालूम नहीं है। उसको सस्पेंड कर दिया, क्या किया, वह आप जाने। मगर वह अभी तक पालमपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। वह डॉक्टर अकेला नहीं है, कुछेक डॉक्टरज को छोड़कर आपके सारे-के-सारे डॉक्टर अपने घर पर सुबह-शाम प्रैक्टिस करते हैं। वे थक कर आते हैं और जहां पर तैनात होते हैं वहां वे मरीजों की पूरी देखभाल नहीं कर पाते। शाम को जब छुट्टी होती है तब फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में स्वाइन फ्लू फैलने का यह सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर मरीजों को सही समय पर तवज्जो दी होती तो हमारे प्रदेश में इस बीमारी के कारण शायद इतनी मौतें नहीं होती। इसको नियंत्रण करने में स्वास्थ्य विभाग फैल हुआ है। इसके अतिरिक्त आपने एक और परम्परा चला दी है। आप इस आउट-सोर्सिंग को बंद कीजिए, हमारे प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। हमारे सभी सरकारी क्षेत्रों में जो लैब टैस्टिंग के लिए लगे थे या जो दूसरे टैस्ट करते थे; वे सारे-के-सारे बेकार कर दिए। उसकी जगह आपने एक बड़ी विश्व प्रसिद्ध कम्पनी से

31.3.2015/1215/ag/av/3

करार करके सारा काम उसको दे दिया। मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसकी रिपोर्टें गलत आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर भुगता है। मैंने वहां से रिपोर्ट ली और उसके दो घंटे बाद दूसरी प्राइवेट लैब में टैस्ट करवाया तो वह रिपोर्ट कुछ और आई। आउट-सोर्सिंग में जो वहां पर नैगलिजेंस हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा?-----

श्री बी जे द्वारा जारी

31.03.2015/1220/negi/jt/1

श्री रविन्द्र सिंह .. जारी...

जो वहां पर नेग्लिजेंसी हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? वहां पर चैक कौन करता है? कोई एस.एम.ओ., कोई सी.एम.ओ. और कोई बी.एम.ओ. उनको चैक करने वाला नहीं है। अभी यह खत्म हुआ नहीं था और आपने दूसरा शुरू कर दिया। क्या आप नर्सों की भी आऊट सोर्सिंग करेंगे? जब आपके पास ट्रेड नर्स हैं तो उनको आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको नर्सों की भर्ती भी कम्पनी को देने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? इसमें आपको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।

दूसरा, जहां तक सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की बात है, आज गरीब आदमी को सबसे बड़ी मार महंगी दवाइयों की पड़ती है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप उन दवाइयों के ऊपर अंकुश लगाएं। जितनी दवाइयां विभाग उन अस्पतालों में देता है, क्या वे दवाइयां उन लोगों तक पहुंचती है कि नहीं। सैम्पल की दवाइयां डॉक्टर अपने चहेतों को देते हैं। आप इन सैम्पलों को बन्द कीजिए। जो मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव अस्पतालों में डॉक्टरों के पास जा करके बैठे रहते हैं उनको बन्द कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गरीब आदमी को राहत मिलेगी। एक और आपने अल्टरनेट व्यवस्था खत्म कर दी। अगर वह कर्मचारियों के लिए भी खत्म कर दिया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जो हमारे परिवार आते हैं, वे गरीब लोग हैं जिनको 30 हजार तथा 1.75 लाख रुपये बड़ी बीमारियों के इलाज़ करवाने के लिए देते हैं लेकिन उनकी भी आपने इम्पेनलमैन्ट बन्द करवा दी। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि गरीब परिवार को लाभ देने के लिए जहां वे इलाज़ करवाना चाहते हैं, बेशक आप कर्मचारियों पर अंकुश लगाइये, वह लगना भी चाहिए जो आपने लगाया है। 30 हजार या जो भी है आपने सभी को एक ही कर दिया है यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा है कि सफाई की व्यवस्था के लिए प्राइवेट तौर पर आऊट-सोर्सिंग की गई है। लेकिन आप किसी भी अस्पताल में जाएं, वहां पर एन्टर करते ही इतनी स्मैल आती है। उसको चैक करने की आवश्यकता है। जिस कम्पनी

31.03.2015/1220/negi/jt/2

को दिया है। अगर कोई किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाए तो वह खुद बीमार हो जाए तो यह ठीक नहीं है। इसके ऊपर आज के दिन में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहां दवाइयों के कारखाने हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट्स दूसरे राज्यों से आ रही है। आपने उनको चैक करने के लिए ड्रग कंट्रोलर्ज़ व ड्रग इंस्पेक्टरज़ रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या काम करते हैं ? क्या वह सिर्फ अपना मतलब सीधा करते हैं? यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, total number of samples declared sub-standard manufactured in H.P. only. दोनों राज्यों के हैं। उनके रिपोर्ट में दिया है कि वर्ष 2013-14 में 220, 2014-15 में 258, टोटल 478 सैम्पल सब-स्टैंडर्ड पाए गए। इसके बाद जो आंध्र-प्रदेश ने यहां पर चैक किए उसमें 30 सैम्पल सब-स्टैंडर्ड निकले। केरल ने जो चैक किए उसमें 46 सैम्पल सब-स्टैंडर्ड निकले। कर्नाटक ने जो चैक किए उसमें 168 सैम्पल सब-स्टैंडर्ड निकले। जो हिमाचल में जो दवाइयां मैनुफैक्चर हुई हैं और जो उन्होंने चैक किए उसमें इतनी दवाइयां सब-स्टैंडर्ड की पायी गई हैं। सी.डी.एस.सी.ओ. 94 . परसेन्टेज़ ऑफ सैम्पल जो लिए हैं ये मैक्सिमम एबरेज़ 30 परसेन्ट है और 30 परसेन्ट से ऊपर कहीं नहीं है। इसको भी चैक करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मंत्री महोदय, आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी, जो एफ.आर.यू. डिक्लेयर किए गए हैं, एक एफ.आर.यू. में आपने कितने डॉक्टरज़ और कितनी सुविधा मरीज़ों के लिए उपलब्ध करवायी है? मुझे दुःख है कि मेरा देहरा भी एफ.आर.यू. में है। कितने डॉक्टरज़ की पोस्टें चाहिए और क्या उसके अनुसार डॉक्टरज़ की पोस्टें वहां दी गई हैं। मैं यह कहता हूँ कि देहरा केन्द्र पर स्थित सिविल अस्पताल है। वहां पर 3-4 नेशनल हार्डवे पड़ते हैं और आए दिन वहां पर कोई न कोई दुर्घटना घटती है। वहां पर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक डॉक्टर पॉस्टमार्टम के लिए रिज़र्व रहता है। इस समय वहां पर 5 डॉक्टर लगे हुए हैं। 5 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर वहां रहता है, एक एस.एम.ओ है और वहां पर केवल मात्र 3 डॉक्टर हैं। तो उनको देखने की

31.03.2015/1220/negi/jt/3

आवश्यकता है। वहां पर जो खाली पोस्टें हैं उनको भरने की आवश्यकता है। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है क्योंकि वहां पर डॉक्टरों के रहने के लिए आवास नहीं है। इसलिए कोई भी डॉक्टर वहां पर जाना नहीं चाहता। मेरा निवेदन रहेगा कि सिविल हॉस्पिटल देहरा के लिए आप जल्दी से जल्दी आवासीय कॉलोनी का व्यवस्था करें ताकि वहां पर स्टॉफ को रहने के लिए, डॉक्टरों को रहने के लिए और अन्य पैरा-मैडिकल स्टॉफ को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेरे अन्य स्थान हैं, निश्चित तौर पर, चाहे पी.एच.सी. मसरूर है, पी.एच.सी. हरिपुर है, पी.एच.सी. बटोली-कोरियां हैं और पी.एच.सी. सुनेत है, इन सभी में आप देखेंगे तो स्टॉफ की भी कमी है...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

31/1225/03.2015.यूके/जेटी/1

श्री रविन्द्र सिंह-----जारी-----

इन सभी में आप देखेंगे तो स्टाफ की भी कमी है और साथ में डाक्टर आए दिन कहीं न कहीं डेपुटेशन पर गए होते हैं। जिला स्तर पर, बी०एम०ओ० या एस०एम०ओ० के स्तर पर उनको डेपुटेशन पर लगा दिया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि स्वास्थ्य सुविधा आम आदमी तक पहुंचे इसके लिए आप इन सभी चीजों की ओर ध्यान देंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता इसका लाभ उठाएगी और हमने जो ये बिन्दु यहां पर उठाए हैं, इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हम माननीय मंत्री महोदय से चाहते हैं कि इनके ऊपर आप अंकुश लगाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

अध्यक्ष : अब मांग संख्या-9 पर कटौती प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई है, उसका उत्तर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 पर कल से विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है और विपक्ष के माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए थे, मैं

उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। कुछ अच्छे सुझाव दिए। जो अच्छे सुझाव हैं, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग उन पर गौर करेगा। यह ठीक है, अध्यक्ष महोदय, कि स्वास्थ्य विभाग सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इसका सम्बन्ध सीधे लोगों के जीवन से, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारा स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश में लगातार कोशिश कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हम एक अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवाएं। 90% से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए सरकार का जो एक उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थाएं खोलें। जहां जरूरत है, प्रशासनिक तौर पर और जरूरत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति की जाए। उसके लिए हमारा विभाग प्रयत्नशील है। यहां कुछ बातें ऐसी आई हैं कि जैसे जब से यह सरकार आयी है, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले सवा दो साल में, आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब 5 साल

31/1225/03.2015.यूके/जेटी/2

आपकी सरकार रही, उस वक्त हमारी 1597 पोस्टें डाक्टरों की थी और एक भी पद और सैंक्शन नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूँ कि हमने 1597 जो डॉक्टरों की सैंक्शन्ड पोस्टें थीं, उसमें 300 डाक्टरों की और पोस्टें और सैंक्शन कराई है। अब यह 1897 हो गयी है। जो मैं समझता हूँ कि आज तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि डाक्टरों के पद सृजित किए गए हैं और इनको भरने का प्रयास किया जायेगा।

श्री प्रेम कुमार धूमल: भरे कितने हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: धूमल साहब, आप फिक्र न करें, मैं इस पर भी आ रहा हूँ। अब आपके वक्त में कितनी स्वास्थ्य संस्थाएं खुलीं मैं इसी पर आता हूँ क्योंकि आपने बात की है। मैं आपको डेटवाइज़ बता देता हूँ कि आपने कितनी स्वास्थ्य संस्थाएं खोलीं और उसमें कितने पद क्रिएट किए गए। आपने सबसे पहले 10-11-2008 को CHC टौनी देवी को बनाया। उसके बाद 08-09-2010 को नैनादेवी को CHC बनाया। उसके बाद FRU आपने 10 नोटिफाईड की। लेकिन not even a single post was created for those FRU. उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। जैसे नए FRU में कोई पोस्ट

क्रिएट नहीं हुई है। इसी तरह से जो PHC आपने 11-08-2011 को खोले उसमें 4 PHC खोले। लेकिन उसमें not even a single post of Doctor or Pharmacist was created. इसी तरह से चुराग PHC का है, गोहरो का लाहोर है। वहां भी

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

31.03.2015/1230/sls-ag-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

वहां भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। पी.एच.सी. भेली जो कांगड़ा जिले में हैं, वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। सी.एच.सी. मनाली को आपने सिविल अस्पताल बनाया लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। उसे सिविल अस्पताल बना दिया लेकिन पोस्ट कोई क्रियेट नहीं की। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल नूरपुर बनाया लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। अब हमने उसे 100बैडिड बनाया है और उसके लिए पोस्ट्ज भी नार्मज के मुताबिक स्वीकृत की हैं। पी.एच.सी. भवार, बिलासपुर, जिसका ज़िक्र कौंडल साहब ने भी किया है, उसमें कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की है। उसके लिए जितनी पोस्टें हैं, वह हम क्रियेट कर रहे हैं। इसी तरह से मरोतन, जो कौंडल जी के ही क्षेत्र में हैं, वहां पी.एच.सी. खोल दी गई लेकिन पोस्ट्ज कोई क्रियेट नहीं की। पी.एच.सी. गाह-घोड़ी, वह भी इन्हीं के चुनाव क्षेत्र में है। उसकी नोटिफिकेशन हुई है लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। सिर्फ कहा कि डिपार्टमेंट इंटरनलाईजेशन से इनको भरेगा। इसी तरह दाड़लाघाट पी.एच.सी. को आपने सी.एच.सी. अपग्रेड कर दिया लेकिन कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। पी.एच.सी. मण्डप, धर्मपुर को सी.एच.सी. बना दिया लेकिन कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। पी.एच.सी. सेंज को अपग्रेड करके सी.एच.सी. कर दिया, पोस्ट कोई क्रियेट नहीं की गई। इसी तरह हैल्थ सब-सैंटर सालदा, शिमला को आपने पी.एच.सी. अपग्रेड किया लेकिन डॉक्टर और फार्मासिस्ट की वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। आपने हैल्थ सब-सैंटर से पी.एच.सी. पलचान मनाली में बनाया, लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। चकमोह, हमीरपुर में भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। इसी तरह से पी.एच.सी. बदी को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाया। पी.एच.सी. मल्यावर बनाया। वहां दो नई पोस्ट्ज क्रियेट की और इसमें क्या किया? एक एम.ओ. और एक स्टॉफ नर्स। जहां बिल्डिंग नहीं है, वहां स्टॉफ नर्स का क्या काम? वहां तो

डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लास-4 होने चाहिए। अब हमने यह रखा है कि जो नए पी.एच.सी. हैं उनमें हम डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लास-4 दे रहे हैं। ऋषिकेश भी

31.03.2015/1230/sls-ag-2

कौंडल जी के चुनाव क्षेत्र में है। उसको आपने स्वास्थ्य उप केंद्र से पी.एच.सी. अपग्रेड कर दिया लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। इसी तरह पी.एच.सी. हंसा में आपने दो पोस्टें क्रियेट की, एक डॉक्टर की और एक स्टॉफ नर्स की। वहां फार्मासिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए थी, स्टॉफ नर्स की नए पी.एच.सी. में कोई ज़रूरत नहीं होती। एक पी.एच.सी. सुबाथु बनाया जिसमें कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई; न डॉक्टर की और न फार्मासिस्ट की। इसी तरह न्यु शिमला में भी आपने पी.एच.सी. खोली लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। सोलन में एक चोलंगघार पी.एच.सी. बना दिया लेकिन वहां पर भी कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की गई। चण्दी अर्की में भी आपने डॉक्टर और स्टॉफ नर्स की पोस्ट क्रियेट की लेकिन नैणाधार में पी.एच.सी. बनाकर आपने कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की। सी.एच.सी. शाहपुर आपने नोटिफाई तो कर दिया लेकिन कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की। नोटिफिकेशन में लिख दिया कि दो डॉक्टर धर्मशाला से लगाए जाएं और दो वार्ड सिस्टर भी धर्मशाला से आएंगी। फिर अल्टीमेटली इसको विद्‌झा कर दिया गया।

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आज जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट्स की कमी आई है, वह आपके वक्त में भी थी। मैं यह सूचना सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। मैं इसको वैरिफाई भी कर सकता हूं। Whatever I am speaking on the Floor of the House, I am speaking after verifying the record. अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि स्टॉफ की कमी है। आपने कहा कि 2700 पोस्टें खाली हैं। यह 2700 नहीं हैं बल्कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 3700 पोस्टें खाली हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस डिमांड में जिन-जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, मैंने उनका एक-एक प्वायंट नोट किया है। इनमें श्री ईश्वर दास धीमान जी, श्री रिखी राम कौंडल जी, श्री विजय अग्निहोत्री जी, श्री सुरेश भारद्वाज जी, श्री बिक्रम सिंह जी और श्री रविन्द्र सिंह जी हैं; इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। यह विपक्ष का काम है।

जारी ..श्री गर्ग जी

31/03/2015/1235/RG/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। तो यह विपक्ष का काम है। जब हम विपक्ष में होते थे तब भी हम सरकार की कमियों को यहां बताते थे। यहां बिन्दल साहब बैठे हैं, चौहार घाटी में हमारी तीन-चार पी.एच.सीज़ हैं उनमें कभी कोई डॉक्टर नहीं लगा। 'सुधार' में एक डॉक्टर लगाया और जैसे ही विधान सभा का सत्र शुरू होने को होता था, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन डेपुटेशन पर वहां से डॉक्टर को भेजा जाए जहां सरप्लस डॉक्टर है। जहां कोई डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टर डेप्यूट किया जाए। लेकिन चार साल मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर 'सुधार' में केवल एक चपरासी रहा, जो केवल ताला खोलता था, बंद करता था। न फार्मासिस्ट रहा और न ही कोई डॉक्टर रहा। हालांकि हर बार मैं यहां मामला उठाता था, तो डॉ. बिन्दल साहब कहते थे कि उसका डेपुटेशन हमने कैंसल कर दिया है। लेकिन जब विधान सभा का सत्र समाप्त होता था, तो उसका डेपुटेशन फिर शुरू हो जाता था। इसीलिए कई बार मजबूरियां भी होती हैं, मैं जानता हूं कि कई बार प्रेशर भी होता है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और विशेषतौर पर मुख्य मंत्री महोदय के पास जितने मामले भी हम लेकर गए हैं, उनको किया है। इसके अतिरिक्त मैंने सदन में भी कहा है कि जो पद हमारे यहां खाली हैं, जैसे स्टाफ नर्स की पोस्ट्ज खाली है, हमने काफी पोस्ट्ज भरी भी हैं। 300-250 स्टाफ नर्स की पोस्ट्ज अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के माध्यम से भरी हैं, लेकिन और भी पद खाली हैं, उनको भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले दो सालों में लगभग 60 नए इंस्टीटियुशन खोल दिए हैं और बाकायदा उनकी अधिसूचना तब जारी की जब हमने उनके लिए स्टाफ भी स्वीकृत कर दिया। जैसे पी.एच.सी. में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हमने साथ ही स्वीकृत कर दिए और बिना स्टाफ के हम कोई भी नोटिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग में नहीं कर रहे हैं। मैं यह माननीय सदन को बता देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कुछ मामले जो कल उठाए गए थे उनमें श्री सुरेश भारद्वाज जी ने स्वाईन फ्लू की बात की थी। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि स्वाईन फ्लू एक गंभीर मसला है और इसको हल करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश में स्वाईन फ्लू से अभी तक 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पहले मैंने 20

कहा था ,लेकिन अब 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इन 22 मौतों में 5ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है कि वे लोग आई.जी.एम.सी. में दाखिल हुए, उनका सैंपल लिया

31/03/2015/1235/RG/AG/2

गया और सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी डैथ हो गई। यानि वे लोग क्रिटीकल स्टेज में आई.जी.एम.सी. में पहुंचे। हमने इसको रोकने के लिए पूरे प्रदेश में सैंसटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में स्वाईन फ्लू का बहुत असर पड़ा है। जैसे राजस्थान में 398 व्यक्ति, गुजरात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना राज्य है वहां 421 व्यक्ति ,महाराष्ट्र में 342 लोग, मध्य प्रदेश में 279 और इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी स्वाईन फ्लू से मौतें हुई हैं। यह किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि स्वाईन फ्लू पर अब हमने पूरी तरह से काबू पा लिया है और अब स्वाईन फ्लू के कोई ज्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब इसका प्रचार-प्रसार काफी हो गया है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में महसूस करते थे कि मुझे जुखाम या बुखार हुआ है ,तो वे क्रोसिन की गोली ले लेते थे और कहते थे कि यह मामूली बुखार है और जब ज्यादा हो जाता था तब वे अस्पतालों में आते थे। लेकिन उसमें भी अस्पतालों ने बहुत कोशिश की और लोगों को ठीक करके घर भेजा है। जब लोग ठीक समय पर अस्पताल में आ गए ,तब डॉक्टर ने पूरी सतर्कता के साथ उनका इलाज किया और उन्हें ठीक करके अपने घरों को भेज दिया है। इस प्रकार यह स्वाईन फ्लू की बात थी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने कहा कि स्टाफ नर्सों को ऑरुटसोर्स करें। मैंने पिछली बार भी यह बताने की कोशिश की कि यह शायद थोड़ा सा मुश्किल है। जो यह एच.एल.एल. है यह भारत सरकार की अण्डरटेकिंग है और उन्होंने हमारे प्रदेश में बच्चों के इलाज के लिए कुछ सेन्टर खोले हुए हैं और उनमें वे 124 पद भरने के लिए इन्टरव्यू ले रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम भर्ती करेंगे और उसके पश्चात उन लोगों को लगाएंगे और उनका वेतन भी हम स्वयं देंगे। प्रदेश सरकार उनका वेतन नहीं देगी ,न ही वे हमारे कॉडर से होंगे।----- जारी

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2015/1240/MS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

उनको राज्य सरकार सैलरी नहीं देगी और न वे हमारे कॉडर से होंगे। उनका अपना कॉडर है। वे इंटरव्यू ले रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों ने, उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेजिए तो कुछ लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं भेज सके इसलिए उनके फार्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। फिर हमने उनको कहा कि आप दुबारा इंटरव्यू कीजिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा लड़कियां हैं। अब दुबारा उन्होंने इंटरव्यू किए हैं और उन्होंने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि अब 25 अप्रैल तक सारी एप्लीकेशनज पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद वे इंटरव्यू करेंगे और फिर वे उनको एप्वायंटमेंट देंगे।

यहां यह भी कहा गया कि 108 एम्बुलेंसिज पुरानी हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी एम्बुलेंस पुरानी नहीं हुई है। वर्ष 11-2010में 100, 12-2011में 12, और वर्ष 14-2013में 108 एम्बुलेंसिज 60आई हैं। इसके अलावा वर्ष 20 15-14में 10 एम्बुलेंसिज आई। आई0जी0एम0सी0 के लिए दो एम्बुलेंसिज और ई0एस0आई0 सोसाइटी के लिए चार एम्बुलेंसिज हमने दी हैं। वे एम्बुलेंसिज जिनके साथ सरकार ने पीछे समझौता किया था, उनकी रिपेयर करने के लिए वे जिम्मेदार हैं। कोई भी एम्बुलेंस अभी तक खराब नहीं है, यह मैं सदन में बता देना चाहता हूं। इन एम्बुलेंसिज ने आज तक लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को सुविधा दी है। HLLने इंटरव्यू के लिए 25 मार्च की लास्ट डेट दी थी कि इस अवधि तक एप्लीकेशनज दे दें। इसमें 25अप्रैल की जगह ,जैसा मैंने पहले कहा था तो डेट 25मार्च है, यह मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, कुछ लोगों ने आशा वर्कर की बात की है कि उनको 500-/रूपये दिया जाता है। हमने कहा कि हमने आशा वर्कर नहीं लगाए हैं। यह हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की स्कीम है। केन्द्र सरकार इसके लिए नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत पैसा दे रही है और उन्होंने कहा कि 800 की पॉपुलेशन पर एक लड़की को 3-4 गांवों के लिए लगाया जाए। जिस महिला की डिलीवरी होनी होती है, वे उसको गाइड करती हैं। इसके तहत 7750लड़कियों को हिमाचल में नौकरी दी गई है और 1000-/रूपया हम उनको दे रहे हैं। इसमें भी एक-एक पद के लिए 10-8लड़कियों ने एप्लाई किया। जो घर में लड़कियां खाली बैठी थीं, उनको

31/03/2015/1240/MS/AG/2

हमने नौकरी दी है। मेरा पूरा विश्वास है कि जो आशा वर्कर लगाई गई हैं इससे भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के जो इंडीकेटर हैं, इन्फैक्ट मोरटेलिटी रेट है, मदर मोरटेलिटी रेट है, उसमें काफी सुधार आने की गुंजाइश है। एक बात अध्यक्ष जी मैं और कहना चाहता हूँ कि our health indicators are best in the country. Whether it is death rate; whether it is infant mortality rate; whether it is birth rate; whether it is mother-infant mortality rate; whether it is child mortality rate; and whether it is fertility rate, we are best in the country. But so far as child sex ratio is concerned, we are lagging behind. Therefore, I appeal to all of you और उसके लिए कल हम एक सेन्सेटाइजेशन की वर्कशॉप कर रहे हैं। मुझे आप सबसे निवेदन करना है, वैसे आपको कार्ड भी देंगे कि उसमें भी कल आप अवश्य आएं। यह भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। उसमें आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे और यह बता देंगे।

रवि जी ने कहा कि दवाइयों के सैम्पल फेल हो रहे हैं। We are proud of the fact that Himachal Pradesh has become a pharmaceutical hub in the country. The whole country is producing medicines worth Rs. 1,00,000/- crore and Himachal Pradesh is producing medicine worth Rs. 25,000 crore in the State and we are exporting medicines worth Rs. 9500 crore to different countries of the world. I went to America. I saw that the medicine of Himachal Pradesh was kept in a particular hospital.

जारी श्री जे०के० द्वारा-----

31/1245/3.2015.जेके/जेटी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री:--- जारी-----

Abbott Company है। We have a very good company. जहां तक दवाइयों की टेस्टिंग का प्रश्न है, मैं चेन्नई में गया वहां पर हमारी एक ट्रेनिंग थी, सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर हमारे साथ थे। उन्होंने वहां पर Ware House बनाया है। मैं भी चाहता था

कि हम भी एक दवाइयां खरीदने के लिए, इक्युपमेंट खरीदने के लिए कार्पोरेशन बनाई जाए। But the Cabinet did not think it proper कि हम ज्यादा इसमें न करें। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सुधार करें। दवाइयों के सैम्पलज लिए जा रहे हैं। सैम्पलज टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। यह ठीक है कि जहां 25 हजार करोड़ रुपये की दवाइयां हिमाचल प्रदेश बना सकता है तो सैम्पल फेल भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके सैम्पल फेल हो रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है और कइयों के लाईसेंस सस्पेंड भी किए जा रहे हैं। कइयों को पेनल्टी भी लगाई जा रही है। We are strengthening the State Drug Agency in the State. इस वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मल्टी नेशनल कम्पनी दवाइयां बना रही हैं। जैसे USP है, Abbott Company, मल्टिनेशनल कम्पनी है, Cipla ,Ranbaxy ,Torrent ,FDC, Dr. Reddy, Panacea है, और इस तरह से कई कम्पनियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में दवाइयां बना रही हैं। They are very reputed companies. इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश होगी। एक बात और बता देना चाहता हूं कि देश में जो स्वाईन फ्लू हुआ, चाहे गुजरात की बात है, चाहे राजस्थान की बात है, चाहे मध्य प्रदेश की बात है लेकिन जहां भी हुए हैं वहां पर हिमाचल प्रदेश की ही दवाइयां उन राज्यों में स्वाईन फ्लू को कन्ट्रोल करने के लिए हिमाचल से गई है और वेक्सीन भी हिमाचल प्रदेश ने ही मैनुफैक्चर की है, जो स्वाईन फ्लू के इलाज के लिए दवाई उपलब्ध करवाई जाती है। इसी तरीके से हमने इसे स्ट्रेंथन करने के लिए यह कार्यक्रम बनाया है। इस समय स्टेट में एक ड्रग कन्ट्रोलर है, 3 असिस्टेंट ड्रग कन्ट्रोलर हिमाचल प्रदेश में है। इसमें 22 पोस्टें हैं जिनमें से 17 हमने ड्रग इन्सपेक्टर की भर दी हैं to supervise more than 700 manufacturers and 5500 sale premises. इसके लिए कोशिश

31/1245/3.2015.जेके/जेटी/2

की जा रही है। यह बात ठीक है कि कई जगह केमिस्ट की दुकाने खोल दी गई है। फार्मासिस्ट ने लाईसेंस लिया है, लेकिन फार्मासिस्ट न बैठ करके वहां पर कोई और बैठता है। उस पर भी चैक करने की मैंने इन्स्ट्रक्शन्ज दी हैं। दूसरे आपने यहां पर जैनेरिक मैडिसिन के बारे में कहा। हमने डॉक्टरज को हिदायतें दी है कि जैनेरिक मैडिसिन ही प्रैसक्राइब की जाए। वे दवाइयां सस्ती भी है और हॉस्पिटलज् में हमने उपलब्ध भी करवा दी है। हॉस्पिटलज् में हमने 200-250 दवाइयां अलग-अलग किस्म

की उपलब्ध करवा दी है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रैस्क्रिप्शन ऑडिट हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही कोई डॉक्टर दवाई लिखता है उसकी एक कॉपी हास्पिटल में रहेगी ताकि डॉक्टर कोई मंहगी दवाई न लिखें। यह ठीक है कि। do not rule out the possibility of doctors' connivance with the chemists. कुछ शिकायतें आई हैं। कुछ को हमने बदला भी है। कुछ हमारे बॉर्डर एरियाज़ के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर रविन्द्र सिंह जी ने कहा है। हमने कोशिश की है कि जो अप-डाऊन कर रहे हैं। चण्डीगढ़, पंचकुला आदि जा रहे हैं, रोपड़ जा रहे हैं, कुछ नंगल जा रहे हैं और कुछ पठानकोट जा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स के पीछे भी हमने कोई एजेंसी लगाई है। जो अप-डाऊन करते हैं वे अपने घरों में जा करके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे क्लिनिक में बैठते हैं। उनके लिए हमने कोशिश की है और कुछ डॉक्टर्स हमने बदले भी हैं। परवाणू से बदले, बदी से बदले और नालागढ़ से बदले। लेकिन डॉक्टर्स का प्रभाव व पॉलिटिकल प्रैशर बहुत ज्यादा होता है। हमने उनको ज्यादा दूर नहीं भेजा। लेकिन वहां से हमने उनको बाहर निकाल दिया है और दूसरी जगह एडजैस्ट करने की कोशिश की है। इसलिए हमारी कोशिश है। कोई आदमी परफैक्ट नहीं होता है। कोई विभाग परफैक्ट नहीं होता है। कमियां होती है। लेकिन कमियों को अगर ईमानदारी से दूर करने की कोशिश करें तब पता लगता है कि कुछ हो रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि बावजूद इसके कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा काम

31/1245/3.2015.जेके/जेटी/3

कर रहा है फिर भी शॉर्टकमिंगज़ होती हैं। यहां पर भारद्वाज जी ने कहा कि आई.जी.एम.सी. का पैसा लैप्स हो रहा है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

31.03.2015/1250/SS-JT/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागत:

यहां भारद्वाज जी ने कहा कि आई0जी0एम0सी0 का पैसा लैप्स हो रहा है। भारद्वाज जी, पैसा लैप्स कोई नहीं हो रहा। यह ठीक है कि 2011-12 में सिर्फ 6 करोड़ रुपया मेडिकल एजुकेशन के लिए रखा गया था। जिसको हमने 2013-14 में बढ़ा करके 29 करोड़ 75

लाख रुपया किया है और अब इस बजट में जो हम पास करने जा रहे हैं 33 करोड़ 60 लाख रुपया मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में रखा है। हमने इंफ्रीज किया है। आपने कहा कि बजट की बढ़ोत्तरी नहीं होती है। रविन्द्र रवि जी ने कहा है कि संस्थान खोले जाते हैं लेकिन बजट नहीं बढ़ाया जाता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बजट में हमने बहुत बढ़ोत्तरी की है। मैं आपको बताता हूँ और आप उसको वैरिफाई कर सकते हो। बजट में बढ़ोत्तरी की है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बात और है अगर बजट में 10 परसेंट की बढ़ोत्तरी न हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा पैसा जो नेशनल हेल्थ मिशन में आता है उसमें कट लग जाता है। इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बजट में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। मैं तीन-चार साल का बजट आपको बता देना चाहता हूँ जिसको आप वैरिफाई भी कर सकते हैं। 2010-11 में 621.28 करोड़ का बजट था। 2011-12 में बढ़ करके 756.80 करोड़ हुआ। 13-2012में 947.85 करोड़ हुआ। 14-2013 में 1060.89 करोड़ हुआ। 15-2014में आज तक यह 1290.76 करोड़ हुआ। अब की बार 2015-16 में बजट 1700 करोड़ 53 लाख रुपया हुआ है। क्वांटम जम्प बजट में किया है keeping in view that we have opened many new Primary Health Centres; we have upgraded Primary Health Centres to Community Health Centres; and we have upgraded Community Health Centres to 50-bedded Civil Hospitals. इसलिए बजट में भी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन यह बात ठीक है कि बढ़ोत्तरी बजट के मुताबिक ही होगी।

अब नीति आयोग आया हुआ है और हिमाचल प्रदेश के प्रति क्या नीति होगी, क्या नज़रिया होगा, आगे पता चलेगा। पहले जब तक योजना आयोग था तो हमें पता होता था कि हमारा इतना हिस्सा है वह हमें मिलेगा। 90:10 होगा तो 90 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 10 परसेंट हिमाचल प्रदेश का होगा। लेकिन जो मैं यूनियन बजट देख रहा हूँ उसमें जो सेंटर का पैसा आता था उसमें काफी कटौती लगी है। इसके बारे में मेरे पास कागज़ उपलब्ध हैं। अब हमारा 4800 योजना का बजट है उसमें देखते हैं कि अब नीति आयोग क्या करता है। मुख्य मंत्री जी उसमें मेम्बर बनाए हैं। मैंने तो मुख्य मंत्री महोदय से कहा है कि जितनी भी स्पैशल कैटेगिरी स्टेटस हैं चाहे नॉर्थ-ईस्ट के हैं। हम भी नॉर्थ-ईस्ट से कम नहीं हैं

31.03.2015/1250/SS-JT/2

North-east is pampered lot; pampered States by the Govt. of India. उनकी अलग काउंसिल बनाई गई है। उसको अलग पैसा जाता है। जे०एंड०के० को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल ग्रांट देती है। स्पेशल कंसीड्रेशन देती है और हिमाचल व उत्तराखंड भी ऐसे पीसफुल स्टेट्स हैं जोकि बॉर्डर के साथ लगते हैं। एक तरफ चाईना का बॉर्डर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक हम लोग हैं। हम इसमें आप लोगों की मदद चाहते हैं। जब केन्द्र सरकार हमारी मदद करेगी तो हमारे डिवैल्युमेंट के काम आगे बढ़ेंगे। मैंने तो धूमल साहब से निवेदन किया है और आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं कि दिल्ली जाते हैं मंत्रियों को मिलते हैं --- (व्यवधान) --- भारद्वाज जी, मैं आपको बताता हूँ कि विधान सभा का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है, मैंने खड़े हो कर कहा था कि कांग्रेस पार्टी जहां तक स्टेट के हितों की बात है आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। धूमल साहब तो हैलीकॉप्टर में चले जाते थे, हम पीछे तमाशा देखते थे। इसलिए यह फ़र्ज था कि जो सरकार सत्ता में होती है वह अपने साथ लेकर चले। हम चाहते हैं कि आप साथ चलें। मुख्य मंत्री भी जायेंगे। धूमल साहब भी हैलीकॉप्टर में जाएं। आप लोग भी हैलीकॉप्टर में जाएं। --- (व्यवधान) ---

अध्यक्ष: माननीय धूमल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

जारी श्रीमती के०एस०

31-03-2015/1255/केएस/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी चर्चा का उत्तर बहुत अच्छा दे रहे थे लेकिन इन्होंने किसी और दिशा में बोलना शुरू कर दिया। मैंने तब भी आपको कहा था कि यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा है, उन्होंने समय दिया है और हम भी सड़क द्वारा ही गए थे। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री भी आए, हमारे उद्योग मंत्री भी गए थे। श्री अडवानी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी डैलिवेशन था और उस समय मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने कहा कि मैं व्यस्त हूँ। मैडम विद्या स्टोक्स को भी कहा और इन्होंने कहा मैं भी व्यस्त हूँ। श्री वीरभद्र सिंह केन्द्रीय मंत्री थे, इन्होंने कहा कि मैं इंदौर, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। आप तीनों में से कोई नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के रिकॉर्ड में यह भी है कि जब इंडस्ट्रियल पैकेज को 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव धर्मशाला, विधान सभा में हम लाए थे तब कौल सिंह जी और श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, दोनों थे, आपके नेतृत्व में पूरा विधायक दल वाकआऊट कर गया था। इन्होंने कहा कि 2020 तक क्यों पैकेज मांगा, 2013 तक ही मांगना था। आपका यह इतिहास रिकॉर्ड में है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो हमने वॉक आऊट किया था, वह किसी और मामले पर था। आप तो बार-बार वाक-आऊट करते थे, हम तो कभी-कभी करते थे। परन्तु वहां का यह रिकॉर्ड भी साक्षी है कि हम भी चाहते थे कि इंडस्ट्रियल पैकेज बढ़ना चाहिए। मैंने भी कहा, विद्या स्टोक्स जी ने भी कहा और कांग्रेस के उस वक्त के सदस्यों ने भी कहा जब हम अपोजिशन में थे लेकिन आप एकदम

31-03-2015/1255/केएस/एजी/2

सरप्राइज़ प्रोग्राम बना दें और उस दिन रात को आपने टैलिफोन किया कि कल हमने जाना है तो हमारी भी वयस्तता होती है और एक पार्टी अध्यक्ष के नाते कई प्रोग्राम हमने भी रखे होते हैं और यहां कम्युनिकेशन का गैप पड़ जाता है लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब-जब भी हम प्रधान मंत्री जी को मिले या दिल्ली के किसी भी यू.पी.ए. गवर्नमेंट के मंत्रियों को मिले, हमने हमेशा वकालत की है कि हिमाचल का इंडस्ट्रियल पैकेज बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा, उस वक्त हमने यह कहा था कि वाजपैयी जी ने 2013 तक पैकेज दिया था फिलहाल अभी आप 2013 की बात करो 2020 तक कहां चले गए? 2020 तक ले जाने की जरूरत नहीं थी। अगर 2013 तक बढ़ जाता तो 2013 के बाद हम फिर बात करते कि अब पांच साल और बढ़ाओ। आपने सीधे ही 10 साल की बात कर दी तो हमने कहा कि इसको कोई नहीं मानेगा। इसलिए थोड़ी सी गलती आप से भी हुई है, हो सकता है हमसे भी हुई हो लेकिन क्योंकि उस वक्त आपने हमसे एकदम से कहा, सबकी व्यस्तता होती है। मुख्य मंत्री जी भी बाहर जा रहे थे, मेरा और विद्या जी का अपना कार्यक्रम था लेकिन विधान सभा का रिकॉर्ड साक्षी है कि हर वक्त हमने यह कहा है कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। पैकेज बढ़ना चाहिए और वाजपैयी का हमने रिकॉर्ड में बार-बार धन्यवाद किया है कि हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पैकेज दिया लेकिन हमने कहा था कि चिदम्बरम साहब के आभारी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने हमें फाईनेंस में मदद नहीं दी। बाद में हम भी गए। हमारी

सरकार बनी और मुख्य मंत्री के साथ पूरी केबिनेट गई और चिदम्बरम जी और प्रधानमंत्री जी से हम मिले। हमने पैकेज की भी बात की और हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता बढ़ाने की भी बात की

31-03-2015/1255/केएस/एजी/3

है। धूमल साहब, जहां तक स्टेट की बात है, हम चाहे पक्ष में है या विपक्ष में हैं, हमें मिलकर चलना चाहिए और स्टेट का समग्र विकास कांग्रेस पार्टी का एक वायदा है। उसमें हम आपका सहयोग लेंगे। कभी आप इधर होंगे कभी हम उधर होते हैं, कोई बात नहीं है, यह तो जनता पर निर्भर करता है। जनता के फैसले की न कोई अपील होती है, न कोई दलील होती है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि we have tried our best to improve the health services in the State. Let me inform you that Shri Suresh Bhardwaj Ji referred to the need for developing IGMC&H as a super speciality institute. I am happy to inform this august House that the UPA Government at the Centre sanctioned Rs. 150 crore for State of Art Super Speciality Block, out of which, our share would be Rs. 30 crore and GOI share would be Rs. 120 crore. So, this is going to become a Super Speciality Hospital. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज में---

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी--

31.3.2015/1300/ag/av/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

जहां कांगड़ा का डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज है उसमें 125 करोड़ रुपये का शेयर उनका था और 25 करोड़ रुपये का शेयर हमारा था। अब 30 करोड़ रुपये का शेयर हमारा है और 120 करोड़ रुपये का शेयर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का है। Similarly, Sir, we hope that in the near future IGMC will also become the super speciality hospital in the State. It is the endeavour of the State Government to provide latest equipment for IGMC. Mr. Bhardwajji is also a member of RKS Society/RKS Committee and his valuable suggestion is always taken into consideration. So, let me inform you that we are ready. Similarly, I am thankful to the UPA Government and also Shri Ghulam Nabi

Azadji who on our request has sanctioned three medical colleges for Himachal Pradesh, one in Chamba, second in Hamirpur and third in Nahan at Sirmour District which is the *karam bhoomi* and *janam bhoomi* of Dr. Parmar and Rs. 189 crores for each college has been sanctioned. Our share is only 10 per cent as a special category State. It would be the endeavour of our Government to run those medical colleges at the earliest because the Government of India Inspection Committee has visited all the three sites and they have recommended that these are the best. We have to construct the medical college building and hostel building for the students. Government of India has allowed 300 beds just to start with are sufficient to run the medical college.

Similarly, there is a critical case of ESI Corporation Medical College at Ner Chowk where the foundation stone was laid by Shri Oscar Fernandes the then Labour Minister. You were also present and I was also present there. I am thankful to the Government that they have

31.3.2015/1300/ag/av/2

provided funds. They have spent about Rs. 700/- crores for construction of the buildings. They have also appointed some skeleton staff. But now the present NDA Government has taken a different stand. The present Government has taken the stand that it is not the duty of the Labour Department to start medical colleges. So, they have written to us. The Labour Minister has written a letter to me. Labour Minister has written a letter to the Government of India and the Hon'ble Chief Minister that if you are ready to take over this college we are ready to give this college to the State Government. The Cabinet has taken a conscious decision that the State Government will take over that college in case the Government of India does not ask more money from us. They have said that Rs. 330/- crores will be required for the completion and for providing equipments etc. The

Government of India has given us option that if you give this amount only, we have spent an amount of Rs. 700/- crores and we are not claiming anything from you, then we are ready. I am requesting Shri J.P. Naddaji. Now, he is Union Health Minister. We have proud of him. I think he is very positive to the State and he should be being Himachali. We request him to provide Rs. 189/- crores for starting the Government Medical College at Ner Chowk and that money we can give to the Government of India and rest of the amount we can give in ten years in three or four equal instalments. So, State Government is also ready to take over that college. Otherwise they have written that in case you are not ready then we will give it to the private party or we will start in PPP mode. Why? So, the State Government is ready to take that college and for that your help is also required. It has appeared in many newspapers that MCI has not approved Government proposal to take over that

31.3.2015/1300/ag/av/3

college. MCI has nothing to do with that whether it is taken over by the State Government or it is function by Labour Ministry, Government of India. The only role of MCI is that they will have to see the staff, accommodation, equipments and when it will come in operation after we start this college.

So far as the recruitment of staff is concerned, we are trying our best. I also assure this House that I will request the Chief Minister about the shortcomings in paramedics.

श्री बी जे द्वारा जारी

31.03.2015/1305/negi/ag/1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री .. जारी..

डॉक्टरज़ हमारे पास एवेलेबल नहीं है और पोस्टें हमारे पास सैंक्शंड हैं। हर मंगलवार को we are holding a walk-in-interview for MBBS Doctor or Post Graduate

Doctor. जहां तक आपने कहा कि सीटें कम हुई हैं। हमने सीटें बढ़ाई थी और अब कम हुई है, ऐसा नहीं है। हमारी 5 सीटें पी.जी. की बढ़ी है और डिप्लोमा की भी 4-5 सीटें बढ़ी है। लेकिन हम उतनी ही सीटें बढ़ाएं जितनी की हम क्वालिटी के पोस्ट-ग्रेजुएट और स्पेशलिस्ट तैयार कर सकें। वैसे ही ज्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसरों का होना जरूरी है। जब एक सीट बढ़ती है तो उसके लिए एक प्रोफेसर होना जरूरी है। जैसे हमारे पास 3-3, 4-4 प्रोफेसर हैं, अब तो एक प्रोफेसर 2 पी.जी. को ले सकता है। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारा स्टॉफ है। एक बात बीच में और आई कि जब एम.सी.आई. इंस्पेक्शन पर आती है तो यहां के डॉक्टर वहां भेज दिए जाते हैं और वहां के डॉक्टर यहां भेज दिए जाते हैं। यह परम्परा तो आपके वक्त भी रही है, जब यह सेपरेट कॉलेज नहीं बने थे, ठीक है होता था, चाहे आपके वक्त थी चाहे हमारे वक्त थी, ऐसा करते थे। अब कैडर सेपरेट हो गया है। अब डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज के प्रोफेसर यहां नहीं आ सकते और न वे ट्रांसफर हो सकते हैं। यहां के डॉक्टर वहां नहीं जा सकते हैं और न ट्रांसफर हो सकते हैं। एम.सी.आई. वाले तो रिकार्ड चैक करते हैं। वे आदमी नहीं गिनते हैं, रिकार्ड चैक करते हैं कि कितने आदमी को पे दी जा रही है, कौन-कौन प्रोफेसर है, कौन एसोसिएट प्रोफेसर है, कौन एसिस्टेंट प्रोफेसर है और कौन यहां सीनियर रेजिडेन्ट है? यह सारा रिकार्ड एम.सी.आई. देखती है। यह ठीक है कि पीछे एम.सी.आई. ने हिन्दूस्तार के जितने सरकारी मैडिकल कॉलेज थे उनको कहा कि सीटें घटाई जाए। And fortunately, I was with Dr. Harsh Vardhanji in America and we were staying in the same hotel to attend the Conference of American Association of Physician from Indian Origin

31.03.2015/1305/negi/ag/2

और जो मैडिकल कॉउंसिल आफ इण्डिया की प्रेजिडेन्ट है डॉ० जयश्री मेहता, वह भी उस कॉन्फ्रेंस में थे। हम तीन हिन्दूस्तान से गए थे बाकी तो हिन्दूस्तानी डॉक्टर जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। I had an opportunity to talk to him. और मैंने उनको कहा कि अगर एम.सी.आई. नहीं मानती है और एम.सी.आई. क्या कर रही है यह आपका पता है। अगर आप लिस्ट उठा करके देखें तो कोई भी प्राइवेट मैडिकल कालेज की सीटें घटाने की उन्होंने सिफारिश नहीं की है। हमारे यहां एक प्राइवेट मैडिकल कालेज है- मारकंडेश्वर मैडिकल कॉलेज, वहां पर पहले ही 150 सीटें दे दी। 100 भी

नहीं, 50 भी नहीं बल्कि 150 सीटें दे दी। उनके कितने इन्डोर पेशेन्ट्स आते हैं वो आप सबको पता है। मैंने कहा था कि there is a provision under Section 10 of MCI Act. अगर यह एम.सी.आई. नहीं मानती है तो Government of India, Ministry of Health has the power to overrule MCI. तो श्री हर्षवर्धन जी ने मुझे विश्वास दिलाया और मैं आज उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कम नहीं होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आ गई। अब यहां की 100 सीटों तो एम.सी.आई. ने कहा कि 100 सीटें आपकी हमने एप्रूवड कर दी है। मैं इस हाऊस को पूरा बताना चाहता हूँ कि क्या कहा उन्होंने, थोड़ी सी डेफिशिएंसी की बात की है। हमने उस डेफिशिएंसी को दूर करके गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भेज दिया है। हमने डेफिशिएंसी रिमूव कर दी है। इसलिए हमारी कोई सीटें कम नहीं होगी।(व्यवधान) ...यह हिमाचल की ही बात है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज भी हिमाचल में है और इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज भी हिमाचल में है। यह तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह मामला आया कि सीटें कम हो रही है, डेफिशिएंसी है। ऐसी कोई डेफिशिएंसी की बात नहीं है जो भी डेफिशिएंसी की बात होगी हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

दूसरा, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा हमने क्या-क्या

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

31/1310/03.2015.यूके/एजी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्र--जारी---

हमने क्या-क्या प्रोवाईड किया है, क्या-क्या नए और लेटेस्ट इक्विपमेंट IGMC में प्रोवाईड किए हैं। पैसा काफी दिया है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे हमने काफी डॉक्टर लगाए हैं। जो डॉक्टर अवेलेबल हो रहा है, हम उसको लगा रहे हैं। जो रिकोग्नाईज़्ड मैडिकल कॉलेज से आ रहे हैं हम उनको लगा रहे हैं। अभी 258 स्टाफ नर्स हमने Staff Selection Board हमीरपुर से भरी है। 112 फार्मासिस्ट भरे हैं और लगभग 89 FHWs तथा ऑपथेलमिक आफिसर तथा फिजियोथैरपिस्ट लगाए हैं। 97लैब अस्सिस्टेंट लगाए हैं। OTAs लगाए हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और 50 करोड़ रुपया, अभी कहा गया कि सिरमौर में PHC नहीं बने हैं। इसमें ऐसा है कि उन PHCs के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं हो रही है। अगर जमीन उपलब्ध हो रही है तो फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट बीच में आ रहा है। तो मैं जो

स्थानीय विधायक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे जमीन उपलब्ध कराएं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी कई जगहों पर जमीन नहीं है और काम रुका हुआ है 4-4, 5-5 सालों से। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कंज़र्वेशन ऐक्ट के तहत केस बना कर के, क्योंकि एक हद तक तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही कंपिटेंट है उसकी परमिशन देने के लिए तो मैं चाहूंगा कि अगर ये केस बनाएंगे तो 50 करोड़ रुपया हम नये भवन बनाने के लिए प्रदेश के अन्दर खर्च कर रहे हैं। कई बार तो PWD के पास भी काफी पैसा पड़ा है और PWD वाले कहते हैं कि जमीन उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो MOU हमने साईन किया है, HLL कम्पनी है, भारत सरकार की वह उसको कर रही है। वह इन्टरव्यू कर रही है, उनका ही स्टाफ होगा। हमारे कैडर स्ट्रेंथ में ये नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत कुछ है लेकिन इस सदन का समय बचाने के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। यदि कोई क्लैरिफिकेशन की बात होगी तो मैं वह देने के लिए तैयार हूँ।

एक बात और भारद्वाज जी ने उठायी कि फ्यूज़निस्ट नहीं है और हमारे ठाकुर जय राम जी ने भी मामला उठाया था। मैं सदन को बता देना चाहता हूँ। आपका प्रश्न था, आप तो नाराज हो गए। आपने इसमें 15-02-2015 की बात लिखी थी, 15-2-2015 में बुलाए गए थे, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। मैंने कहा कि 15-02-

31/1310/03.2015.यूके/एजी/2

2015को इतवार था। इतवार को ऑपरेशन नहीं होते। एक फ्यूज़निस्ट जो था वह रिटायर हो गया और एक को रि-इम्प्लॉई किया है। एक हमारे पास वॉर्ड सिस्टर है जो बडू साहिब से एम0एस0सी0 कर रही है She is a perfect. जो पहले थे, जो पहले थे वे भी सीनियर लैबोरेट्री टैक्नीशियन थे लेकिन ऑपरेशन थिएटर में काम करते-करते परफैक्ट हो गए थे। यह पोस्ट सबॉडिनेट सलेक्शन बोर्ड को देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली कैबिनेट में पोस्ट सैंक्शन कर दी है, अब हमने रिक्लूटमेंट के लिए उनको यह पोस्ट भेज दी है। यह पोस्ट भी जल्दी भर दी जायेगी। जैसा मैंने कहा था जनवरी में 13 ऑपरेशन हुए, फरवरी में 15 हुए और अभी 22 मार्च तक 14 ऑपरेशन हार्ट सर्जरी के हुए हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कोशिश है। कोई भी परफैक्ट नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से। जहां मसरूर

की बात की है, मैं यह सदन को बता देना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया जायेगा then we will not hesitate to take any action against him including suspension and termination from the Government service. That is number one. नम्बर-दो जो डॉक्टर हिमाचल से बाहर जा रहे हैं, जैसा कहा गया कि बॉर्डर एरिया में जाते हैं। उस पर भी पूरी निगाहें रखी हुई हैं और उन लोगों को भी हम इंटीरियर के क्षेत्र में, कल भारद्वाज जी ने रोहडू का जिक्र किया कि रोहडू में डॉक्टर नहीं है। रोहडू सिविल हॉस्पिटल को हमने 150 से 200 बिस्तरों का किया हुआ है। अभी 150 के लिए 15 डॉक्टर्स वहां सैंक्शन्ड हैं, 13 डॉक्टर्स इन पोजीशन है, दो डॉक्टरों की और पोस्टिंग कर दी है लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं इसका मुझे पता नहीं है। तो कोई भी पोस्ट रोहडू में खाली नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोहडू काफी बिज़ि स्टेशन है, बहुत इंटीरियर का स्टेशन है। लोगों को दूर आना पड़ता है। इसलिए कोशिश यह है कि जो हमारे हेल्थ इन्स्टीट्यूशन्ज़ खोले जाएं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि राजनैतिक आधार पर कोई इन्स्टीट्यूशन खोलें।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

31.03.2015/1315/sls-ag-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ..जारी

जो सुझाव कट मोशन पर आपने दिए हैं, उनको मैंने एक-एक को लिख लिया है। विभाग से मैं इसकी पूरी सूचना लूंगा। जहां-जहां पोस्ट्ज खाली हैं उनका ध्यान रखेंगे। कोई भी डॉक्टर डैपुटेशन पर नहीं भेजा जाएगा। अगर कोई डैपुटेशन पर गए हैं तो उनका डैपुटेशन खत्म कर देंगे। शिलाई में भी कोई डॉक्टर डैपुटेशन पर गया है, उसके लिए भी मैं विभाग को कहूंगा कि उसको वापिस लाया जाए।

इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपने जो कट मोशन दिए हैं, मैंने विस्तृत तौर पर अपनी बात कही है। इसलिए मेरे उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपने कट मोशन्ज वापिस लें।

श्री रिखी राम कौंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रिक्लूटमेंट एंड प्रोमोशन रूल्ज में, जो टैक्निकल स्टॉफ है, जिनके

मामले में टाण्डा मैडिकल कॉलेज में भी और आई.जी.एम.सी. में भी ऐजुकेशन की वॉयलेशन हुई है, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब ही नहीं दिया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इंडियन नर्सिंग कौंसिल के बारे में इन्होंने ज़िक्र किया था। उनके रूल्ज के बारे में इन्होंने बताया। इंडियन नर्सिंग कौंसिल गार्डिलाइंज देती है और हम उन गार्डिलाइंज को फौलो करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लिखकर दें। अगर गलत हुआ होगा, रूल्ज की वॉयलेशन हुई होगी तो उस पर सरकार विचार करेगी, यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष जी, मैंने यहां पर कोट किया है कि जितनी भी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नर्सिंग और मैट्रन्ज आई.जी.एम.सी. में प्रमोट की गई हैं, वह बी.एस.सी. क्वैलिफाईड नहीं हैं। इसलिए वॉयलेशन तो है ही। मंत्री जी इसको देखें। हमने इसमें क्या लिख कर देना है। आप उनकी डी.पी.सी. मंगवाइए और उनकी रिपोर्ट को

31.03.2015/1315/sls-ag-2

देखिए कि वह कैसे प्रमोट की गई। हमसे आप लिखकर क्या चाहते हैं? हमने तो माननीय सदन में यह विषय उठाया है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज टाण्डा के बारे में इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। वहां आज के दिन गंभीर स्थिति है; वहां जो गन्दगी का आलम है। वहां एक सिस्टम बन गया है कि कोई पेशेंट आए तो उसको कुछ दिन रखते हैं और बाद में आई.जी.एम.सी. या पी.जी.आई. रैफर कर देते हैं या पेशेंट के अटैंडेंट जहां ले जाना चाहते हैं, वहां ले जा सकते हैं। उसके बारे में आपने एक भी शब्द नहीं कहा। वहां सफाई का बुरा हाल है जिसकी चर्चा हमने यहां की है। यह प्रैक्टिकल बातें हैं। देहरा के बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि वहां स्थिति बहुत दयनीय है। मंत्री महोदय, मैंने आपको कहा कि आप वहां आकर विजिट कीजिए। आप पता नहीं क्यों साथ नहीं आते है। जब पिछली बार मुख्य मंत्री महोदय आए थे और इस बार भी आए थे तो आप साथ क्यों नहीं आते जबकि आपका नाम पत्र पर लिखा होता

है?... (व्यवधान)... मैं तो आपको बुलाता हूँ, आप आओ। आप तैयारी करके आ जाइए। आप वहाँ पर स्थिति देखिए कि क्या हाल है। इन बातों का आपने जवाब नहीं दिया जो हम सभी ने उठाई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज की बात कही है। Let me inform this House that Dr. Rajendra Prasad Medical College is one of the best Colleges of Northern India. वहाँ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हुई है, डॉक्टरों की अप्वायंटमेंट हुई है, जो सुपर स्पैस्लिटी हॉस्पिटल बना है जिसमें छः सुपर स्पैस्लिटी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं; वहाँ बिल्डिंग्स का उद्घाटन हो गया है और स्टाँफ लगा दिया गया है। जहाँ तक सफाई के काम की बात है, वह आपके वक्त में ही आऊटसोर्स हुआ है। पहले वहाँ हमारे स्वीपर काम करते थे लेकिन आपकी सरकार ने इन-प्रिसिपल यह निर्णय लिया था। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो निर्णय आऊटसोर्स करने का आपने

31.03.2015/1315/sls-ag-3

लिया है, वह बहुत अच्छा निर्णय था। .. (व्यवधान)... हम उसको चैक करेंगे। मैं भी दो सालों में 6-5 बार वहाँ जा चुका हूँ और स्थिति को देखता हूँ। यह ठीक है कि कई बार हम सरप्राइज विजिट नहीं करते लेकिन मैं आपको इस बात को एनश्योर करना चाहता हूँ कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज में सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो इन्होंने कहा कि unlike MCI, एम.सी.आई. की तरह जो इंडियन नर्सिंग कौंसिल है, उनके रूलज हमारे ऊपर लागू नहीं होते। धूमल साहब को इस बात का पता है। हमारे ऊपर वह रूलज लागू होते हैं जो प्रमोशन रूलज हमने निर्धारित किए हैं। उन्हीं के मुताबिक प्रमोशन की जाती है न कि इंडियन नर्सिंग कौंसिल के मुताबिक। वह मॅडेटरी नहीं बल्कि डायरेक्टरी इंस्ट्रक्शन हैं। आप कहते हैं कि बी.एस.सी. को प्रमोट कर दिया जाए। बी.एस.सी. टीचिंग साईड में जाती है और उनको यह अवसर दिया जाता है कि आपने टीचिंग साईड में जाना है या जनरल साईड में रहना है? अगर जनरल साईड में रहेंगे तो उनको भी प्रमोशन सीनियरिटी के मुताबिक दी जाती है।

जारी ..श्री गर्ग जी

31/03/2015/1320/RG/JT/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

जो जनरल साइड में रहते हैं, तो उनको भी पदोन्नति सीनियोरिटी-कम-मैरिट के आधार पर दी जाती है। इसलिए नर्सिंग कॉऊन्सिल के नियम हम पर लागू नहीं होते।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए अपने-अपने हाथ खड़े कर रहे थे।)

अध्यक्ष : इसमें मात्र एक-दो ही क्लैरीफिकेशन होती है, ज्यादा नहीं होती। हां, सुरेश भारद्वाज जी आप बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इनके लोग ही नहीं सुनना चाहते, वे चाहते हैं कि कुछ हो। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन बेसिक इश्युज पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे प्रदेश की लैबोरेट्रीज तो इन्होंने एस.आर.एल. के पास बेच दी हैं। ये कहते हैं कि हमने यहां नए उपकरण लगाए हैं ,यदि नए उपकरण लगाए हैं, तो काम तो यहां तीन घण्टे का भी नहीं है जो इनके लैब टैक्नीशियन्ज हैं और फिर यहीं पर उन लैब टैक्नीशियन्ज की बी.एस.सी. की ट्रेनिंग होती है और उनकी पढ़ाई भी होती है। उनको हिमाचल प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि एस.आर.एल. कंपनी को पूरे प्रदेश में सारे अस्पतालों में प्राइम जगह दे दी हैं जिसके कारण सारी लैबोरेट्रीज सर्विसेज़ का निजीकरण हो गया है। ऑऊटसोर्सिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑऊटसोर्सिंग कर दी ,नर्सिंग ऑऊटसोर्सिंग कर दी ,डॉक्टरज़ इनको मिल नहीं रहे हैं , काम यहां हो नहीं रहा है और जैनेरिक दवाइयों के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टरज़ लोग बड़ी-बड़ी कंपनीज की महंगी-से-महंगी दवाइयां लिख रहे हैं। इसके साथ-ही-साथ इन्होंने दुकानें माफिया को दे रखी हैं जिसमें दवाइयां बिकती हैं या क्या बिकता है, इसका कोई पता नहीं। इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है इसलिए हम माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इस सदन से वॉक ऑऊट करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

Speaker: I would like to say something. ऐसा है कि कटौती प्रस्ताव पर जब कोई माननीय मंत्री जवाब दे देते हैं, it is not imperative on the part of the Minister to reply all the points. All the points cannot be replied during the reply. So, raising their query/questions three times was not valid, I think.

31/03/2015/1320/RG/JT/2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये वोटों में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बाहर गए हैं अदरवाइज़ माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरा संतोषजनक था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मैंने यहां हर बात का जवाब दिया है और यदि हर सदस्य के हर प्वाइंट का जवाब मैं देने लगूँ, तो मेरे ख्याल से दो-अढ़ाई घण्टे और लगने थे। जो बेसिक इशुज इन्होंने उठाए थे, अब ये ऑऊटसोर्स की बात कर रहे थे, तो एस.आर.एल. लैब के लिए बाक्यदा टैण्डर्ज हुए। हमारे मैडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल या जोनल हॉस्पिटल में 9.00 बजे से लेकर 12.00 बजे तक टैस्ट के लिए जो भी सैंपल लिए जाते हैं उनको हम स्वयं अपनी लैबोरेट्री में कर रहे हैं और 12.00 बजे से लेकर दूसरे दिन 9.00 बजे तक ही सिर्फ एस.आर.एल. लैब टैस्ट कर रही है and let me inform this House कि इनकी टैस्ट ऐक्यूरेसी 99 प्रतिशत है। उसके बैटर रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों को पहले तीन-तीन या चार-चार दिन रुकना पड़ता था, लेकिन ये 12.00 बजे सैंपल लेते हैं और 4-5 बजे रिपोर्ट दे देते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर्ज को भी सुविधा हो जाती है और रिपोर्ट के मुताबिक पेशन्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑऊटसोर्स की बात है, तो ये भूल गए, इनके समय में ही ऑऊटसोर्स करने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। सफाई का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ऑऊटसोर्स करने का काम शुरू हुआ है और ये, यह भी भूल गए कि ये अस्पतालों की नोटिफिकेशन कर देते थे, लेकिन वहां स्टाफ कोई नहीं देते थे। अगर आज हालत ऐसे हुए हैं और चिकित्सकों की कमी या पैरा-मैडिकल स्टाफ की कमी हुई है, तो इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेवार है। ये भूल गए, मैंने एक-एक का यहां बताया कि इन्होंने पी.एच.सी.ज. खोल दीं, सिविल अस्पताल बना दिए, कॉम्युनिटी

हैल्थ सैन्टर्ज बना दिए ,लेकिन वहां स्टाफ कोई नहीं दिया। इन्होंने पी.एच.सी. के लिए तीन पोस्ट क्रियेट कीं, एक डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स ,तो स्टाफ नर्स का वहां क्या काम है? जब डॉक्टर दवाई लिखता है, तो फार्मासिस्ट दवाई देता है न कि स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स तो वहां लगाते हैं जहां हमारी बैड स्ट्रेन्थ हो ,जहां बिस्तर वाले अस्पताल होते हैं-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2015/1325/MS/Jt/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

जैसे छः बिस्तरों का यदि अस्पताल है तो वहां नर्स लगाएंगे। जहां-जहां भी इन्होंने स्टाफ नर्सिंग ऐसे संस्थानों में लगाई थीं ,वहां से हमने उनको विज्ञो करके CHC , सिविल अस्पताल और प्राइमरी हैल्थ सेंटर में लगाया है जहां छः बिस्तरे उपलब्ध हैं। इसलिए ये तो वाकआउट करने के लिए इसका विरोध कर रहे थे। इनके पास ऐसा कोई प्वाइंट नहीं था।

जहां तक आई0जी0एम0सी0 और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की बात है। इन कॉलेजों को कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था। कांग्रेस पार्टी ने ही वर्ष 1996में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज को जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, खोला था। इसमें इनका क्या योगदान है? इनका कोई भी योगदान इसके लिए नहीं रहा। जब 100 सीटें बढ़ाने की बात थी तो 65 से 100 सीटें बढ़ाने की बात भी, आप धूमल साहब से पूछो, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आप गुलाम नबी आजाद जी से बात कीजिए। उनके टेबल पर यह फाइल रखी है तो मैंने गुलाम नबी आजाद जी से बात की। मैंने कहा कि 100 सीटों की सैंक्शन दे दीजिए और उन्होंने मेरे अनुरोध पर वे सीटें सैंक्शन कर दीं। मैंने इनको कन्वे कर दिया है कि हम हर हालत में, जहां स्टेट के इंटरस्ट की बात होगी, चाहे जब हम विपक्ष में भी थे, हमने हमेशा इनका साथ दिया है लेकिन ये लोग साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष: तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज, बिक्रम सिंह और श्री रविन्द्र सिंह के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

(कटौती प्रस्ताव अस्वीकार)
प्रस्ताव गिर गया।

31/03/2015/1325/MS/Jt/2

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त मु015,07,31,63,000/-रूपये (राजस्व) एवं मु0-/51,54,00,000रूपये (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

(प्रस्ताव स्वीकार)
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

31/1430/3.2015.जेके/एजी/1

उपाध्यक्ष: अब मांग संख्या 8 - पर चर्चा होगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 8-शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त मु0 1,77,65,56,250/-रूपए (राजस्व) एवं मु0 4,43,57,000/-रूपए (पूंजी) की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल और श्री रविन्द्र सिंह की ओर से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या उनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझे जाएं?

श्री ईश्वर दास धीमान :सर, हम प्रस्तुत करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष: ठीक है, मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है।

श्री ईश्वर दास धीमान: उपाध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। अब कट मोशन पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मांग नम्बर-- 8 शिक्षा पर पहले भी काफी चर्चा हुई है और इसके महत्व को भी सब जानते हैं। विशेष करके प्रारम्भिक शिक्षा में जो कमी आ रही है, नामांकन में कमी आ रही है, ड्रॉप आउट हो रहे हैं और साक्षरता भी कम होने के संकेत दे रही है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

31.03.2015/1435/SS-AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागत:

साक्षरता भी कम होने के संकेत दे रही है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह स्वीकार भी किया है कि अब स्कूलों की संख्या काफी हो गई है। इनको अभी कुछ स्पिरिट करने की बात है। मेरा यह सुझाव है कि आप स्कूल खोलें, यह मुख्य मंत्री महोदय का अधिकार है। ये स्कूल खोलें लेकिन जहां बच्चे कम होते हैं वहां बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। बच्चे केवल अध्यापक से ही नहीं सीखते हैं, वे आपस में प्रतिस्पर्द्धा से भी सीखते हैं। हमने स्कूलों के लिए मापदंड बनाने की कोशिश की थी और उसके मुताबिक स्कूल भी खोले थे। उस वक्त आप लोगों ने बड़ा शोर डाला कि स्कूल बंद हो गए। जहां एक बच्चा है वह क्या सीखेगा? दो या तीन बच्चे हैं, अगर पांच कक्षाओं में पांच बच्चे हुए तो भी एक बच्चा एक कक्षा में होगा तो मुझे लगता नहीं है कि उसके साथ प्रॉपर इंसाफ हो रहा है। अगर आप उनको स्कॉलरशिप दे करके या कोई सेंट्रल स्कूल बना करके या रैजीडेंशियल बना करके कुछ करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक जगह पर 10-20 बच्चे होंगे, मुझे लगता है कि अगर 20 बच्चों से कोई कक्षा कम होती है तो उसमें यूं समझो कि वह तो वैसे ही इंटरएक्शन है। बच्चे पढ़ाई-लिखाई में ही नहीं बल्कि खेल-कूद और एक्टिविटीज़ में अपने साथियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा यह सुझाव है कि कुछ मापदंड बना करके जहां अति आवश्यक है कि दो बच्चों

के लिए स्कूल खोलना है तो आप खोलिये। लेकिन जहां सुविधा हो सकती है, सड़क है, थोड़ा एक-आध स्कूल ऐसा बना करके जहां बच्चे दाखिल हो जाएं ताकि स्कूलों की संख्या कम रहे और उनको सुदृढ़ करने में हमारा वक्त लगे। अध्यापकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कई किस्म के तरीके अपनाते रहे उसमें चेन ठीक नहीं होता रहा। रोस्टर नहीं लगता रहा। हो सकता है कि योग्य लोग वहां रह जाते हों, अयोग्य आ जाते हों तो हमारा बोर्ड है जो भी भर्ती करनी है वह उससे कीजिए। कमीशन से कीजिए। उसकी प्री-प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आज रिटायरमेंट होने वाली हैं तो इसका प्रबंध विभाग को 6 महीने पहले कर लेना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद हम वहां पर क्या substitute देंगे। मेरा यह भी सुझाव रहेगा कि इस तरह का कोई प्रबंध किया जाए।

आज गुणवत्ता की बात है चाहे वह प्रदेश हो या देश हो। गुणवत्ता तो तभी आयेगी जब पर्याप्त अध्यापक होंगे। यह भर्ती का आपका सिस्टम चले। वैसे मुझे लगता है कि 5 हजार करोड़ से ज्यादा माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के लिए

31.03.2015/1435/SS-AG/2

काफी पैसा रखा है। कोई कमी नहीं रखी हुई है। इसको आप साधनों, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचरों की इम्प्लॉयमेंट और बच्चों की सुविधा के लिए खर्च करेंगे तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसमें अगर और भी ज़रूरत पड़ती है तो केन्द्र भी आपकी सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान में मदद कर रहा है। अगर उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाए तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सुदृढ़ होगी। अगर हमारा प्राईमरी एजुकेशन सुदृढ़ हो जाए तो अपने आप शिक्षा का स्तर बढ़ जायेगा। अगर 3 आवर में छोटे बच्चों को कंसैप्ट क्लीयर हो जाए जो तीसरी, चौथी और पांचवीं तक होता है तो बेहतर होगा। मैंने पहले भी आपको एक सुझाव दिया था..

जारी श्रीमती के0एस0

31-03-2015/440/केएस/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी---

मैंने आपको पहले भी एक सुझाव दिया था कि प्राईवेट स्कूलों में ज्यादा संख्या जा रही है और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। इसको हम रोक तो नहीं सकते और गरीब को भी नहीं रोक सकते क्योंकि गरीब को भी अब यह फोबिया है कि प्राईवेट

स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर्ज ले कर पांच-पांच सौ रुपये फीस दे कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों न हम इस तरह का प्रबन्ध करें कि हमारे स्कूल भी उस स्तर के हों और बच्चों को लगे कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कोई अन्तर नहीं है? आपके कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें कमरे ही नहीं हैं। एक कमरा या दो कमरे हैं। कम से कम एक प्राथमिक स्कूल में तीन कमरों का होना बहुत जरूरी है। नामांकन हमारा शत प्रतिशत हो चुका है। मैंने कहा था कि 35 प्रतिशत बच्चे आपके निजी स्कूलों में चले गए हैं और 65 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। एक दिन आएगा कि आधे-आधे या इससे भी ज्यादा हो जाएंगे और आपके सरकारी स्कूलों का महत्व काफी कम हो जाएगा इससे बच्चों की सरकारी स्कूलों के प्रति एक हीन भावना बन रही है। इसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्सपैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। हमारी सरकार के समय, धूमल जी के समय हमने इन्सपैक्शन के लिए डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के करीब 10 इन्सपैक्टर भरने की बात की थी और इतने में दूसरी सरकार आ गई। इन्सपैक्शन नहीं होगा तो स्कूलों में काम नहीं होगा। हमारे समय में तो इन्सपैक्शन एक ऐसी आइटम थी जिसके लिए दो-दो

31-03-2015/440/केएस/एजी/2

महीने पहले हम लोग तैयारी करते थे। उसमें स्कूल की सारे साल की एक्टिविटी आंकी जाती थी और उसके ऊपर आगे जा कर अमल होता था। कृपया आप हर जिला में एक इन्सपैक्टिंग ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर के रैंक का दें, उसमें प्लेसमेंट होगी, ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा लेकिन यह है कि स्कूलों में इन्सपैक्शन हो जाए। इन्सपैक्शन जरूरी है क्योंकि कई लोग अच्छा काम करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। अच्छे लोग तो हर हालत में काम करते हैं लेकिन समाज में कई किस्म के लोग हैं उनका इन्सपैक्शन होना जरूरी है। मुझे याद है हमारी सरकार के समय में हर स्कूल में हर साल लॉग बुक लिखी जाती थी। विभाग को भेजी जाती थी और विभाग उसके ऊपर पूरा अमल करता था। ट्रांसफर भी करता था और शाबाशी भी देता था, प्रशंसा भी करता था। अगर इन्सपैक्शन वाली बात आप करें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधर सकता है। मैं पिछली बात बहुत कम करूंगा लेकिन हमने एक आदेश निकाला था कि स्कूल एक्टिविटी के सिवाय किसी स्कूल में कोई और फंक्शन न हो।

अगर कहीं मजबूरी है तो वह छुट्टी वाले दिन या परमिशन ले करके हो। बच्चों का बहुत सा समय कभी वे हमारा या आपका इन्तज़ार सड़कों पर खड़े हो कर कर रहे हैं। चार-चार छ:छ: घण्टे तक का समय लग रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप में बच्चे खड़े हैं, यह बिल्कुल बन्द किया जाए। कोई और एक्टिविटी स्कूल में स्कूल के सिवाय हो ही न अगर आप इसको स्ट्रिक्टली लागू करें तो लोगों का स्कूल में आवागमन भी

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

31.3.2015/1445/ag/av/1

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागत

तो मैं समझता हूँ कि लोगों का स्कूल में आवागमन भी कम हो जायेगा और साथ में वहां पढ़ाई का वातावरण भी बनेगा। मैं कई स्कूलों में गया और मुझे लगा कि आपके कई स्कूलों में 8-8 साल तक प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन ही नहीं हुआ। बच्चों के पैसे, बच्चों को इनाम देना, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को रास्ता दिखाना, बच्चों को प्रतिस्पर्धा में लाना, स्टेज पर लाना; ये सब चीजें हमारे समय में जरूरी कर दी थीं। इसको जरूरी करने के बाद उसका परिणाम भी अच्छा आने लगा। ये सब चीजें जरूरी की जानी चाहिए और माह दिसम्बर तक स्कूल के सारे फंक्शन खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद तो बच्चों को इम्तिहान की तैयारी करनी होती है, मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा। उन फंक्शन्ज में जैसे आपके प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन होते हैं या शिक्षा दिवस हो, कुछ भी हो; यह स्कूल के मैनिफेस्टेशन पर एक अक्स जैसा लगे। वहां फंक्शन में कोई सरकारी अधिकारी भी शामिल हो सकता है। वहां परफॉर्मेंस देखकर उनकी ग्रेडिंग भी की जा सकती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि शिक्षा संस्थाओं का कुछ स्तर बनाये रखिए। आपके जिले के नोमिनेटिड लोग चाहे चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो; वे स्कूल में जाकर दबाव डालकर कहते हैं कि मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। मैं यहां पर एक स्कूल का उदाहरण देना चाहूंगा। आपने कनयान स्कूल को अपग्रेड किया और वहां पर कोई एनुअल प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन फंक्शन रखा हुआ था। आपकी पार्टी का एक आदमी जो कि जनता द्वारा नकारा हुआ है; वहां जाकर कहता है कि मुझे बुलाओ, मैं करूंगा। मैं मुख्य अतिथि के रूप में आऊंगा। उसने इस बारे में डिप्टी डायरेक्टर को टेलिफोन किया। जबकि वहां उन्होंने इलाके के किसी शिक्षाविद जो उस स्कूल में अध्यापक रह चुका था, उसको प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हुआ था।

आखिर के दिन में इस तरह जा करके सरकार का रौब डालकर, ऑफिसर्ज का रौब डालकर वहां जबरदस्ती प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन करता है तो कितना बुरा लगता है। अरे! करे कोई, मगर कोई विद्वान जाए, कोई टैक्नोक्रेट जाए, कोई अधिकारी शिक्षा विभाग से जाए या चाहे किसी और विभाग से जाए। मगर ये

31.3.2015/1445/ag/av/2

जिला स्तर के लोग वहां रौब डालकर इस तरह से करते हैं, तो उनको रोका जाए। इन शिक्षा संस्थाओं का कुछ मान-सम्मान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान बड़ी कामयाबी से चलाया। हमने राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में कोई कमी नहीं रखी और उसके लिए सारे राष्ट्र में सम्मान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त रूस में मैं यह चाहूंगा आप उसको आगे बढ़ाओ। देखने वाली बात यह है कि अगर टीचर ही नहीं है, आपके च्वाइस बैस्ड सब्जैक्ट के लिए कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो बच्चे कहां जायेंगे, उनको कॉम्बिनेशन कहां मिलेगा? आपके स्कूल में 25 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए मगर आपके दो सौ बच्चों पर एक टीचर है। इसी तरह जब आप च्वाइस बैस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करते हैं तो बच्चों के पास च्वाइस होनी चाहिए, आप इस ओर ध्यान दें। यह भी कामयाबी से चलेगा, यह भी अच्छे के लिए है। पहले भी अच्छा हुआ है और अब भी अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को यहां पर रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर अमल करें। धन्यवाद।

समाप्त

अगला वक्ता श्री बी.जे.द्वारा जारी

31.03.2015/1450/negi/ag/1

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ईश्वर दास धीमान जी जो शिक्षा मंत्री रहे हैं इन्होंने बड़े विस्तार से शिक्षा के बारे में जो खामियां हैं, उसके बारे में चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से 2-3 बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्राइवेट स्कूलों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है इससे हमारे सरकारी स्कूलों के

अधिकतर बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। मेरी सूचना के मुताबिक 48 हजार के करीब बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ कर प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं। माननीय सदस्य, कर्नल इंद्र सिंह जी ने भी इस बारे में बजट भाषण में या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए जिक्र किया था। मुख्य मंत्री जी इसपर गौर करें। जब धूमल जी की पहली बार सरकार बनी, उस समय आपने जाते-जाते 25-25 स्कूल एक चुनाव क्षेत्र में खोल दिए, किसी चुनाव क्षेत्र में 30 स्कूल खोल दिए लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं की। कई स्कूल तो घरों में चलाए गए और वे घर वाले भी परेशान हुए। उसके बाद सरकार ने 126 करोड़ रुपये की एक सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना शुरू की। इस योजना के तहत 13672 कमरे, एक-एक स्कूल में 3-3 कमरे बनाए गए। आप कोई ऐसा प्लान लाइये। जहां भवनों की कमी है, आप ऐसी योजना बनाइये ताकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो। कई प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को बैठने के लिए टाट नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सारे स्कूलों में टाट नहीं है लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरी बात, जितने भी हाईस्कूल, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं उनमें टॉयलेट बनाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। हमने सरस्वती विद्या बाल संकल्प योजना में यह शुरू की थी उसको आपने आगे बढ़ाया है। वाटर हारवेस्टिंग के लिए आपने कहा कि टॉयलेट्स के ऊपर टंकी रखी जाए और बारिश का पानी उसमें स्टोर किया जाए और उस पानी का टॉयलेट्स के लिए इस्तेमाल हो। आपके डिजीजन लेने के बाद भी आपका विभाग बार-बार चिट्ठियां लिख रहा है और नीचे अमल नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर इस समय 66 कालेज हैं और 5 संस्कृत कालेज हैं। जो कॉलेज पिछली सरकार ने खोली थी उसको राजनीतिक आधार पर बन्द किया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी इसपर

31.03.2015/1450/negi/ag/2

पुर्नविचार करिये। लोगों की आवश्यकता के मुताबिक ये खोले गए थे। आपने कहा कि आवश्यकता के मुताबिक जहां 2 ही बच्चे हों तो भी स्कूल दिए जाएंगे। सरकार इन कन्टीन्युटी होती है। जो काम आप छोड़ करके चले जाएंगे, आने वाली सरकार उस काम को आगे बढ़ाता है। सरकार तो लोगों के हाथ की बात होती है, कौन सरकार आएगी, कौन नहीं आएगी। लेकिन वह यह नहीं करती है कि पहले की नोटिफिकेशन को रद्द कर दो। भले ही हमारी सरकार ने भी हो सकता है आपकी नोटिफिकेशनज़ कुछ

रद्द की हो। यह प्रथा गलत है। यह प्रथा बन्द होनी चाहिए। एक बार जिस सरकार ने जो निर्णय ले लिया उसको लागू करना चाहिए। अभी अंत में रविन्द्र रवि जी बोलने वाले हैं। अंत में, मैं मुख्य मंत्री जी आपसे ट्रांसपेरेंसी की बात करना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर मैं आपको जिलावार यह सूचना देना चाहूंगा, कांगड़ा जिले में 28 प्रिंसीपल्ज़ को आपके विभाग ने पत्र लिखा है जिनकी इन्क्वायरीयां चल रही है। किसी की गबन की इन्क्वायरी है। कोई स्कूल बिल्डिंग बनाने में फ्रॉड हुआ है। आपने फिर 2015 में डिप्टी डायरेक्टर्ज़ को ऐसी चिट्ठी लिखी है। 28 इन्क्वायरी के केसिज़ कांगड़ा जिले के पेंडिंग हैं। शिमला जिले के 7, मण्डी जिले के 17, हमीरपुर जिले के 6, सोलन जिले के 6, ऊना जिले के 6, सिरमौर के 5 और बिलासपुर के 7 केसिज़ प्रिंसीपल्ज़ के पेंडिंग हैं। ये कारण क्या है? इस तरह की ट्रांसपेरेंसी सरकार की नज़र आती है। आप बार-बार अनुरोध कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के कार्यालय से और प्रिंसीपल सेक्रेटरी एजुकेशन के कार्यालय से डिप्टी डायरेक्टर्ज़ को कि इसकी इन्क्वायरी करके भेजिए। इसमें कई छेड़छाड़ के मामले हैं। जो बच्चियां उन स्कूलों में पढ़ती हैं उनके साथ छेड़छाड़ के मामले हैं। कुछ मामले मार-पिटार्ई के हैं जिनकी एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई है। पुलिस अपने स्तर पर इन्वैस्टिगेशन कर रही है। इसके बारे में जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो जो मैंने जिलावाइज़ फिगरज़ दी है, उसको स्पष्ट करेंगे। ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी है। शिक्षा का स्तर गिरा है। यह सरकार प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। और जो बच्चों की

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

14/31.03.201555/ यूके/1

श्री रिखी राम कौंडल---जारी---

और जो बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए थी, जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वह चाहे स्टाफ की कमी की वजह से, हर सरकार स्टाफ को पूरा करने की कोशिश करती है, उसकी कमी की वजह से, राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से और स्थानांतरण की वजह से इसमें कमी आयी है। इसका सुधार करिए। यह जो मांग संख्या-8 पर कटौती प्रस्ताव हमने दिए हैं, अभी 3.30 बजे गिलोटिन लग जायेगा, अभी माननीय मुख्य मंत्री को भी जवाब देना है, जवाब के बाद गिलोटिन लग जायेगा तो मैं लम्बी बात न करता हुआ एक ही बात कहूंगा कि हर स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर यह सरकार जो लोगों की आशाएं थीं, जिस आशाओं के साथ आपको सत्ता में लोगों ने भेजा है, उसको

पूरा करने में नाकाम रही है। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

14/31.03.201555/ यूके/2

उपाध्यक्ष: अब श्री रविन्द्र सिंह जी, चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 जिसके ऊपर हम माननीय सदस्यों ने यहां कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं भी उस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे दो माननीय सदस्य ने भी बोलना था लेकिन समय की कमी के कारण क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी जवाब देना है और 3.30 बजे गिलोटिन लग जायेगा अतः वे नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मुझे सभी ने अधिकृत कर दिया कि आप ही इसमें हिस्सा लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मनुष्य का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। हमें इस पर चिंतन भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड वर्तमान में क्या है और कैसा हम चाहते हैं? हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए कैसा मार्गदर्शन दें, कैसी शिक्षा उनकी हो, इसके ऊपर समय-समय पर चिंतन निश्चित तौर पर होना चाहिए। धीमान जी और रिखी राम कौंडल जी ने अपने बहुत बढ़िया विचार यहां पर रखे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह सोचना भी चाहिए, आपने अपने बजट भाषण में कहा था कि जब हमें स्टेटहुड मिला था तो उस समय हमारी साक्षरता दर 32% पर थी। वर्तमान में 82.80% पर है। यह चिंतन करना चाहिए कि पिछले दो सालों में यह कम क्यों हुआ? 2012 तक हमारी साक्षरता दर 84% थी। ये दो परसेंट किन कारणों से कमी रही है। यह भी एक चिंता का विषय है। इसके ऊपर सोचना चाहिए हालांकि कि पूरे प्रदेश में इस समय हमारे 15428 विद्यालय मौजूद हैं। लेकिन चिंता तो निश्चित तौर पर है कि इसके कारण क्या रहे? क्योंकि वर्ष 2012 में निजी विद्यालयों में केवल मात्र 29% एडमिशन होती थी जो आज बढ़ कर 35% हो गयी है। इन दो वर्षों में 6% की इन्क्रीज प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में हुई है और हम घट कर 65% पर आ गए हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा? मुख्य मंत्री जी, सोच आपकी अच्छी होगी इसमें कोई दो राय नहीं। हर किसी को शिक्षा प्राप्त हो इसलिए निश्चित तौर पर प्रयास करने भी चाहिए। चाहे किसी दूर-दराज क्षेत्र में बैठा हमारा एक बच्चा

है, वह शिक्षा से वंचित न रह जाए, उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है, हम सभी की होती है। लेकिन वहां

14/31.03.201555/ यूके/3

पर यह भी साथ में सोचना चाहिए बजाय उस बच्चे को या उन 10 से नीचे की प्राथमिक पाठशालाओं में हैं, या माध्यमिक पाठशालाओं में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना कम हो जाती है, घट जाती है। एक बच्चे को जो अध्यापक आप रखेंगे वे क्या पढ़ाएंगे? उसके अन्दर कम्पीटिशन की भावना कैसे होगी? यह चिंता का विषय है, इसके ऊपर मुख्य मंत्री महोदय आपको निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। इसके ऊपर न तो कहीं आपने बात रखी है। चाहिए यह था कि ऐसे बच्चों के लिए जो पूर्व में हमारे शिक्षा मंत्री, आदरणीय धीमान जी रहे, उन्होंने और हमने पूरे प्रदेश में एक स्कीम लाँच की थी कि ऐसे स्थानों पर जहां बच्चों की संख्या कम है, उनको बसों का किराया भी सरकार देती थी, उनको जहां नज़दीक पड़ता है, होस्टल में ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। हमने एक नीति बनाई थी कि उनमें एक भावना पैदा हो कि कहीं जा कर जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक भावना जागृत होती है जैसे हम यहां बैठे हैं, हम में भी यही भावना है, हर विधायक यह सोचता है कि मैं अच्छा काम करूं, मुझ से बढ़िया कोई दूसरा न जाए। इसी तरह से हर संस्थान के ऊपर ऐसी व्यवस्था होती है कि वहां प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होनी चाहिए। केवल मात्र यह नहीं कि हर गली-कूचे में स्कूल खोल दो, वहां पर अध्यापक हों, लेकिन आज के दिन में क्या हालात हैं? हालात यह है कि जो दोपहर का मिड-डे मील बनता है, उसकी चिंता वह जाते ही करना शुरू कर देता है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

31.03.2015/1500/sls-ag-1

श्री रविन्द्र सिंह ..जारी

उसकी चिंता वह जाते ही करना शुरू कर देता है। मुख्य मंत्री महोदय, इसके लिए आपको निश्चित तौर पर एक टीम बनानी चाहिए। छुट्टी बाद में होती है लेकिन वह अध्यापक घर नहीं जाते; वह वहीं पर रह जाते हैं और वहीं से शाम का बंदोबस्त करना

शुरू कर देते हैं। हमने बहुत-सी जगह पर ऐसा देखा है। जो माहौल शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए, वहां वैसा नहीं है। ऐसे कुछ ही संस्थान हैं। कई संस्थान तो बहुत बढ़िया हैं और वहां स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। कई शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वह बच्चों की भी चिंता करते हैं। आज भी वे बच्चों को ट्यूशन नहीं देते बल्कि बच्चों की क्लास लेते हैं। अभी तक भी समाज में ऐसे अध्यापक हैं। लेकिन कई ऐसे हैं कि छुट्टी होने पर अपनी ट्यूशन शुरू कर देते हैं। उनको चैक करने की आवश्यकता है।

आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि जो शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर पुरष्कृत होंगे, उनको कुछ ईनाम देंगे। उनको नगद राशि भी देंगे और उनकी सेवा में दो साल की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसके ऊपर भी मेरा आपसे निवदेन रहेगा। इसमें आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट दिया है उसको वह अध्यापक स्वयं ही भरते हैं। यह सारी मिलीभगत है। पीछे यह सारा-का-सारा सिस्टम बदला गया था। मुझे याद है कि मेरे पिछले विधान सभा क्षेत्र का एक अध्यापक महीने में एक दिन भी स्कूल नहीं जाता था जबकि उसको राष्ट्रीय पुरष्कार मिल गया। जब वहां देखा गया कि इसका कोई योगदान नहीं है, न बिल्डिंग में योगदान है, न उसने कोई ऐसा काम किया, और न किसी बच्चे को प्रोत्साहित किया, परंतु वह राष्ट्रीय पुरष्कार लेकर आ गया था। उसको उस समय दो साल की बढ़ोतरी भी मिली थी। ऐसी बातों की चिंता करनी होगी। कई बहुत अच्छे अध्यापक हैं, इसलिए मैं यह नहीं कहता कि ऐसे पुरष्कार नहीं देने चाहिए। उन्हें मान-सम्मान मिलना भी चाहिए। हम हर साल 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसमें अच्छे शिक्षकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो फॉर्मेट बनाया गया है जिसको अध्यापक स्वयं ही

31.03.2015/1500/sls-ag-2

भरते हैं कि मैंने यह कर दिया, वह कर दिया, उसको ओ.के. करने वाले वही हैं, इसके ऊपर निश्चित तौर पर चिंता करना अनिवार्य है।

मुख्य मंत्री महोदय, एक बात और है जिसका जिक्र आदरणीय कौंडल जी ने किया। वह स्कूलों के भवनों की स्थिति है। अभी मैं बजट की किताब पढ़ रहा था। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवनों की स्थिति जर्जर है। चाहे वह जसवां का पुराना क्षेत्र मेरे देहरा में आया हो या देहरा में पहले जो ज्वालामुखी क्षेत्र था ,

वह हो या परागपुर के क्षेत्र मेरे क्षेत्र में आए हों। मुख्य मंत्री महोदय, इस समय सारे भवनों की स्थिति जर्जर है। आप गए और आपने वहां पर दो-तीन उद्घाटन किए। लेकिन जो अच्छे भवन थे उनके किए, बाकी आपने नहीं देखे। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि बाकी क्षेत्रों की भी यही स्थिति होगी। आपने बजट में भवनों के निर्माण के लिए एकमुश्त राशि का जिक्र किया। मेरा निवेदन है कि आप प्रदेश स्तर की एक कमेटी का गठन करें और वह प्रदेश के हर विद्यालय का जायजा ले। प्राथमिक पाठशाला को कितने कमरे देने हैं, ऐसा हिसाब लगाए, ताकि आपके पास पूरा डाटा आ जाए कि प्राथमिक पाठशालाओं में कम-से-कम इतने कमरे बनाने हैं, जैसा हमने किया था। उस समय सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना के अंतर्गत 3 या 4 पक्के कमरे बनाने की बात थी। वह योजना पूरी नहीं हुई। लेकिन उस योजना के तहत आप पता लगा सकेंगे कि मिडल स्कूल में इतने कमरे चाहिए, हाई स्कूल में इतने कमरे चाहिए, प्लस टू में इतने कमरे चाहिए और साईंस ब्लॉक अलग से चाहिए। यह करने की शुरुआत तो की है लेकिन अभी भी ज्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अभी भी बच्चों को बैठने के लिए कमरे नहीं हैं। यह मेरा एक सुझाव रहेगा कि इसके ऊपर चिंतन करें। आपने एकमुश्त बजट का प्रावधान रखा है। जैसे हमारे देहरा विधान सभा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र हैं उनको एकमुश्त राशि जारी करने की बात कही है। जैसे एकमुश्त राशि आपने देहरा विधान सभा क्षेत्र के भवनों के निर्माण के लिए जारी कर दी, ऐसा ही प्रावधान हर जगह के लिए हो, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा।

31.03.2015/1500/sls-ag-3

मुख्य मंत्री महोदय, हमारे बिक्रम सिंह जी आपके बड़े चेहते हैं। आपने इनका कॉलेज बंद कर दिया। आप इसको शुरू कर दो। इन्होंने सर्वेक्षण की रिपोर्ट आपके सामने रख दी है। सर्वे पूरा है। जब अधिकारियों की टीम वहां गई थी तो 500 से अधिक लोग वहां इकट्ठे हुए थे। सभी ने एक प्रस्ताव पारित करके दिया। वहां हाईवे के ऊपर सारी-की-सारी अच्छी जगह है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस कॉलेज को शुरू करें। सारे-के-सारे कॉलेज, चाहे अभी खुले या उस समय खुले, बच्चों की सबसे ज्यादा एडमीशन उस कॉलेज में हुई थी। वहां पहले साल ही पहली एडमीशन में 200 से ज्यादा बच्चे थे। लेकिन किन्हीं कारणों से आप उसको अभी तक भी नहीं कर पाए हैं। मेरा निवेदन रहेगा; वह मेरे साथ लगता विधान सभा क्षेत्र है और समय की कमी के कारण इनको बोलने का समय भी नहीं दिया गया।

मेरा दूसरा निवेदन आपसे रहेगा। सुधीर जी आपके पीछे बैठे हैं। अब ये भी मान गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है। यह बहुत जरूरी है। मुख्य मंत्री महोदय, इसका निर्णय लगभग हो चुका है लेकिन केवल आपकी हां चाहिए। सुधीर भाई जी भी इस बात के लिए मान गए हैं।

जारी ..श्री गर्ग जी

31/03/2015/1505/RG/JT/1

श्री रविन्द्र सिंह-----क्रमागत

आपकी केवल 'हां' चाहिए और श्री सुधीर भाई जी, माननीय शहरी विकास मंत्री जी इस बात के लिए मान गए हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं ये धर्मशाला में जाकर इस पचड़े में क्यों पड़ गए? न आपने लिया, न मैंने लिया। उपाध्यक्ष महोदय, धर्मशाला को विश्वविद्यालय न मैंने दिया और देहरा को न मैंने दिया। जब आप देहरा गए, मैं भी विस्थापित हूं, आप भी विस्थापित हैं, मुख्य मंत्री महोदय स्वयं विस्थापित, धूमल साहब विस्थापित हो गए, सारे विस्थापित हो गए, ये कुलदीप जी भी हो गए, राकेश कालिया जी भी विस्थापित हो गए, तो इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उस समय से पहले से इसकी अधिसूचना हुई है और उसके अनुसार हमारी मांग वही है, हम थोड़े ही कहते हैं कि धर्मशाला अच्छा है या बुरा है या देहरा अच्छा है या बुरा है। अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कहते हैं कि हमें यह एक बहुत बड़ा संस्थान मिला है और इस संस्थान को जगह की तुरन्त आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश एक हजार करोड़ रुपये हरेक साल नुकसान में जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जो लैन्ड ट्रांसफर का केस गया हुआ है, ये भाई जी ने वन तो काट दिए, वहां कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां देवदार के कोई पेड़ नहीं हैं, वहां केवल मात्र खैर के पेड़ हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर कृपया विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अन्य बातें भी करने की थीं। पिछले कल मैं इसलिए नहीं आ पाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक संस्कृत का महाविद्यालय है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देखने के काबिल है। मैं भी वहां पहली बार गया, इससे पहले मैंने भी वह नहीं देखा था। मुझे लगता है कि वहां बी.एड की शास्त्री की क्लासिज शुरू हो गई हैं। उसमें 750 से ऊपर विद्यार्थी हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों में जहां जाएंगे, वहां कॉम्प्टीशन है, सारे देश में केवल मात्र 11 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं। पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा है कि मैं यहां से अच्छा शास्त्री बनकर जाऊं, मैं यहां अच्छा काम करके जाऊं। उसीको सामने रखते हुए ऐसी स्थिति पैदा करें कि प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे बच्चों में आए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो छठी से लेकर 11वीं क्लास तक ए, बी, सी, डी, चार-चार सैक्शन हमारी क्लास के हुआ करते थे, लेकिन आज

31/03/2015/1505/RG/JT/2

वह भावना ही खत्म हो गई है, बच्चों में वह पढ़ाई की भावना रही नहीं, खेलों में जो भावना होनी चाहिए, वह नहीं रही। ये सारे बिन्दु आपके सामने हैं, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं ज्यादा लंबी न करते हुए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से यहां कुछ सुझाव भी दिए हैं और अपने-अपने क्षेत्रों की मांगें भी रखी हैं। हम जहां इस मांग अननुमोदन करते हैं वहीं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। आपने हमें बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अभी मांग संख्या-8 'शिक्षा' पर दिए गए कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अब इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में शिक्षा विभाग का जो बजट है उसके ऊपर चर्चा हो रही है और उस पर विपक्ष की तरफ से जो कटौती प्रस्ताव दिए गए हैं, उसके विषय में माननीय विपक्ष के विधायकों ने अपने विचार रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय ,सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है तब से आज तक शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रान्ति आई है। विकास ही नहीं हुआ है बल्कि क्रान्ति आई है। आज प्रदेश में 81 डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज हैं 5 ,संस्कृत कॉलेज, सीनियर सैकण्डरी स्कूल के 1,500भवन हैं, हाई स्कूल ,546 मिडिल स्कूल2,292 और प्राथमिक स्कूल 10, 738हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 15,514 हमारे ऐजुकेशन इंस्टीटयुशनज सरकारी स्तर पर चल रहे हैं। इसके द्वारा शिक्षा की रोशनी प्रदेश के कोने-कोने में पहुंची है और आज देश के जो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हैं उनमें हिमाचल की गिनती होती है।

31/03/2015/1505/RG/JT/3

यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और खासकर जहां की आबादी बिखरी हुई है। ऐसे ही एक दिल्ली शहर है उसकी आबादी हमसे ज्यादा है। मगर हिमाचल प्रदेश की आबादी बिखरी हुई आबादी है ,यहां दूर-दराज के इलाके हैं-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

31/03/2015/1510/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी-----

यहां दूर-दराज के इलाके हैं और कई धारों को लांघकर इलाके हैं। कई ऐसी जगहों पर हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल है। तो ऐसे क्षेत्रों में इस सीमित समय के अंदर इतना बड़ा शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकारें रही हैं, वे धन्यवाद की पात्र हैं। सबके सहयोग से आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं।

अध्यक्ष जी, इसी तरह से एनरोलमेंट की बात है। आज जितने कॉलेजिज हैं, मैं सरकारी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उनमें एनरोलमेंट 92 993,हैं जिनमें से 55817 लड़कियां हैं। संस्कृत कॉलेज में 825 विद्यार्थी हैं जिनमें से 367लड़कियां हैं। सीनियर सैकण्डरी स्कूल के अंदर 1 78,470,एनरोलमेंट हैं जिनमें से 87 250,लड़कियां हैं। हाई स्कूल में 1 लाख 95 हजार 33 एनरोलमेंट हैं जिनमें से 93 710,लड़कियां हैं। मिडिल स्कूल के अंदर 2,47,455एनरोलमेंट हैं जिनमें से 1 24,506,लड़कियां हैं। प्राइमरी स्कूल के अंदर 3 36,179,एनरोलमेंट हैं जिनमें से 1 71,783,लड़कियां हैं। इसी तरह से

कुल एनरोलमेंट सरकारी संस्थानों में 10 लाख 52 हजार 965 हैं जिनमें से 5 लाख 34 हजार 431 लड़कियां हैं। इससे जाहिर होता है कि इतने दूर-दराज़ के इलाकों में शिक्षा का प्रसार हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में आज लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अगर सरकारी स्कूल नहीं होते तो गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार नहीं होता। कठिन स्थानों पर स्कूल नहीं होते, दूर-दराज़ के क्षेत्र में नहीं पहुंचते तो कभी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता। इससे यह साफ जाहिर होता है कि शिक्षा के प्रचार/प्रसार में, शिक्षा को आगे ले जाने में हर लड़का/लड़की को मौका मिले, उसमें सरकारी स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे इससे भी बढ़कर योगदान रहेगा।

अभी यहां पर पब्लिक स्कूलों की बात की गई। मैं जानता हूं कि आज प्रदेश के अंदर इन स्कूलों की मशरूम ग्रोथ हो गई है। आज कोई भी दो-तीन या चार कमरों में पब्लिक स्कूल खोल देता है। कई अच्छे पब्लिक स्कूल भी हैं। लेकिन अधिकांश इन स्कूलों में अनट्रेंड टीचर्स हैं। जिन्होंने दस जमा दो पास किया है, वे ऐसे टीचर्स को रख देते हैं। वे बच्चों को टिप-टॉप तो रखते हैं। बच्चों के लिए अच्छी युनिफॉर्म जैसे

31/03/2015/1510/MS/AG/2

उनको फ्रॉक पहना देंगे, बैज लगा देंगे और एक अच्छी किस्म का ड्रेस पहना देंगे। मगर उन स्कूलों को शिक्षा देने की नीयत से नहीं खोला जाता है बल्कि वह एक व्यवसाय है और केवल पैसा कमाने की नीयत से ऐसे स्कूल खोले जाते हैं। अधिकांश ऐसे स्कूलों के अंदर ट्रेंड टीचर्स भी नहीं हैं। दस जमा दो पास लड़के/लड़कियां उन्होंने पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। शायद हायर क्लासिज के लिए ट्रेंड टीचर्स रखते होंगे। मैं कहता हूं कि अधिकांश स्कूल ,so called public schools ऐसे हैं। इनमें से कई अच्छे भी हैं who are doing good job and imparting good education. उनकी मैं सराहना करता हूं लेकिन जो आज स्कूलों की मशरूम ग्रोथ हुई है, मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

31/1515/3.2015.जेके/एजी/1

मुख्य मंत्री:-----जारी-----

मैं समझता हूँ कि वह सही नहीं है। उससे एक hybrid type of education पैदा हो रही है। उससे कल्चरल क्राइसिस प्रदेश के अन्दर पैदा होंगे। वे यह समझेंगे कि हम औरों से सुपीरियर हैं जबकि वास्तव में एजुकेशन के नाते वे किसी भी स्तर पर नहीं है। आज लोगों में शौक है कि हम पब्लिक स्कूलों में जाएंगे। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कोई पब्लिक स्कूल है ही नहीं, शायद कोई एक-आध स्कूल होता है। मगर आप हमीरपुर में जाएं, ऊना में जाएं और कांगड़ा में जाएं खास करके इन दो-तीन जिलों में पब्लिक स्कूलों की मशरूम ग्रोथ हो गई है। उसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि जो अटैंडेंस थी कई स्कूलों में, खास कर मिडल स्कूलों में, हाई स्कूलों में कम हो गई है। कई स्कूलों में जो सरकारी अध्यापक हैं, उनके बच्चे भी पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बच्चे यह कहते हैं कि जब गुरु जी के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वह अच्छा ही स्कूल होगा। खुद वह अध्यापक सरकारी स्कूल से सैलरी ले रहा है, वह सरकारी मुलाज़िम है मगर उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उससे एक गलत नक्शा बाहर जाता है। हम किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं कि आप अपना बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं या उसको पब्लिक स्कूल में न भेजें। यह हर परिवार की अपनी स्वेच्छा होती है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने स्कूलों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इसके लिए हमें अब री-असैसमेंट करने की आवश्यकता है और इनमें स्टाफ पैटर्न की भी री-असैसमेंट करने की आवश्यकता है। कई स्कूलों में ज्यादा स्टाफ है। बच्चों की संख्या घट गई है और स्टाफ उतने का उतना ही है। इसके बारे में सरकार सोचेगी and we will take some steps to reorganize the things. ऐसे नए स्कूल खोलने के बारे में भी मैं समझता हूँ कि जहां स्कूल खोलने की बात है we have almost reached on a saturation point so far the total quantity of school is concerned. कहीं और जरूरत होगी, किया जाएगा गुण-दोष के आधार पर वरन् नया स्कूल खोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यह ठीक है कि जहां जरूरत होगी वहां स्कूल खोले जाएंगे। जहां प्राईमरी स्कूल हैं वहां पर मिडिल स्कूल बनेंगे और जहां पर

31/1515/3.2015.जेके/एजी/2

आवश्यकता होगी तो वहां पर मिडिल स्कूल की जगह हाई स्कूल बनेंगे। हाई स्कूल की जगह सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनेंगे लेकिन आवश्यकतानुसार बनेंगे। आगे जितने भी स्कूल खोले जाएंगे that would be as per the requirement, not due to any

pressure from the local people. यहां पर बहुत बड़ी बात बार-बार कही जाती है कि सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल खोले हैं वहां पर किसी में एक लड़का है और एक अध्यापक है। कहीं पर दो बच्चे हैं और कहीं पर 5 बच्चे हैं। उसको भी हम रेशनलाइज करेंगे। जहां पर आवश्यकता नहीं रहेगी वहां पर नैचुरली हम देखेंगे कि उसका क्या हल हो सकता है? कई हल हो सकते हैं। उन स्कूलों के बच्चों को हम एक स्कूल में इकट्ठा पढ़ा सकते हैं। ये सब बातें और जो आपने यहां पर सुझाव दिए हैं। appreciate it. उसको हम देख सकते हैं। मगर जहां पर स्कूल की आवश्यकता होगी वहां पर निश्चित रूप से स्कूल खोले जाएंगे। सरकार जब स्कूल खोलती है तो वह कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं खोलती है जबकि जो प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं वे मुनाफे के लिए खोले जाते हैं। But this is as per the public demand and to meet the requirement of the people of the area. यह ध्यान हमेशा सामने रखा जाएगा। मगर हम क्लबिंग कर सकते हैं, जहां एक या दो स्टूडेंट्स हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

31.03.2015/1520/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागत:

जहां एक या दो स्टूडेंट्स हैं जहां रेशनलाइजेशन कर सकते हैं अवश्य हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। We are not closed to this issue. एक स्टेज एक्सपैंशन का होता है और दूसरा स्टेज कंसोलिडेशन का होता है। We were passing through the phase of expansion. Now, we will enter the stage of consolidation. This is very important.

रूसा के बारे में भी यहां पर ज़िक्र हुआ है। RUSA is a very good system. I wish this has started in the country long back. It is given a wider horizon to the students in the matter of choice of their subjects. मुझे पता नहीं है कि कुछ राजनीतिक संस्थाएं जैसे एस0एफ0आई0, ए0बी0वी0पी0 है क्यों इसका विरोध कर रही हैं। आज नाम रूसा है मगर इसी किस्म की शिक्षा प्रणाली दुनिया के बैस्ट कॉलेजिज़ like England & Europe में चलती है। आज हिन्दुस्तान में आई। देर से आई मगर दुरुस्त आई। अगर आज हमने दुनिया के साथ एजुकेशन में मुकाबला करना है उस स्तर तक अपनी पढ़ाई को ले जाना है तो यह सिस्टम बहुत आवश्यक है और जब कोई नया सिस्टम शुरू होता है उसमें teething problems होती है। उसमें शुरूआत में कुछ

मुश्किलतें होती हैं, which is known as teething problems. We are getting over that. You will be glad to know that Government Degree College, Mandi will be the first RUSA Cluster University in Himachal Pradesh. मंडी का जो कॉलेज है उसके साथ 4-5 कॉलेजिज़ को मिला कर it will be a University under RUSA. उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा। इस तरह से शिक्षा का पूरा प्रसार होता है। बच्चों को पढ़ने की च्वाइस होती है। Variety of education होती है। Variety of subjects होते हैं। यह ठीक है कि जब इंद्रोज्यूस करते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। कहीं कमरे नहीं होते हैं, लैक्चरर नहीं होते हैं। Now it is picking up. आज जितने अध्यापक चाहिए वे मौजूद हैं। और भी ज़रूरत होगी तो वे रखे जायेंगे। शुरुआत की

31.03.2015/1520/SS-AG/2

जो मुश्किलतें हैं, जिसको teething problems कहते हैं, we have to meet with the situation. Now, that situation is over. We are entering a new phase and a new stage. इसलिए हमें किसी भी नये सिस्टम को बिना सोचे-समझे कंडैम नहीं करना चाहिए। उसकी गुणवत्ता पर जाना चाहिए। यह कोई नया सिस्टम नहीं है। दुनिया में कई दशक पहले यह सिस्टम चालू हुआ है। हमारे देश में अब आया है और जब मैं St. Stephen's College, Delhi में पढ़ता था, यह सिस्टम तब भी था जबकि मैं फर्स्ट ईयर में वहां पर दाखिल हुआ था। This is a good reach to better and better education. मगर शुरु में डैफिनेटली प्रॉब्लम्ज़ होंगी जैसे लैक्चरर की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, मगर जैसे-जैसे वह कमी दूर होगी this system is going to stay and it will become the bedrock of the education system of the country. ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। Thank you, Sir. I have done.

मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं वे अपने कट-मोशन को वापिस लें। Let us jointly endorse the education and support the education in the State.

Speaker: Clarification only.

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय रवि जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उठाया, कॉलेज की नोटिफिकेशन का विषय मैंने उठाया, हर प्रिंसीपल की इन्क्वायरियों का विषय मैंने उठाया, उसका मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं माननीय सदस्य को यह बोलना चाहता हूँ कि अंडर रूलज़ जो आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं उसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री या जो संबंधित मंत्री है द्वारा उन बिन्दुओं पर देना ज़रूरी नहीं है। उसमें कई बिन्दु रह जाते हैं। ऑवरऑल जो आपने कहा है वह रिकॉर्ड हुआ है। यह ज़रूरी नहीं है कि जो बिन्दु आपने उठाये हैं उन सब का जवाब दें। It is under the rules.

31.03.2015/1520/SS-AG/3

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, पहले स्पष्टीकरण तो दिया जाए।

मुख्य मंत्री जारी श्रीमती के0एस0

31-03-2015/1525/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री: मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं? आपके मन की बात मैं पहले ही भांप लेता हूँ। जो आपने प्रश्न पैदा किया था I have taken note of that. Certainly we will see that what you have said is inquired into and take appropriate action in the matter.

श्री रिखी राम कौंडल:अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया है, हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और इसके साथ मैंने लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन पर झंडुता का मर्डर केस का मामला उठाया था। मैं इस माननीय सदन में बताना चाहूंगा कि पुलिस के टॉर्चर करने के बाद एक जोधा राम नाम के व्यक्ति ने सुसाईड कर लिया उसकी आज तक इन्क्वायरी नहीं हुई इसलिए मुख्य मंत्री जी के जवाब को ध्यान में रखते हुए हम इस सदन से वाक आरुट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये लोग लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं while discussing education. और कोई घटना आज ही घटी है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है This is no time to raise such an issue. That shows that they are determined to walkout no matter what the reply is. They are non-serious about their work. They are not performing properly.

Speaker: I would like to inform to the Hon'ble House that the discussion put for for Cut Motions by the Hon'ble Members, it is

31-03-2015/1525/केएस/एजी/2

not imperative on the part of the concerned Minister or the Hon'ble Chief Minister to reply to every point. And his reply is sufficient. So, their point was not correct. It is under rules.

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि शिक्षा के कट मोशन पर कोई लॉ एण्ड ऑर्डर की बात बता कर बाहर निकल गया हो।

अध्यक्ष: कट मोशन वापिस नहीं हुआ है।

तो प्रश्न यह है कि सर्व श्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री और श्री रविन्द्र रवि के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

(प्रस्ताव गिर गया)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या:8-शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः मु0 1,77,65,56,250/- एवं 4,43,57,000/- रुपये की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

31-03-2015/1525/केएस/एजी/3

अब मैं गिलोटिन अप्लाई करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस आए)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई मु0 12,98,81,99,536/- रुपये (राजस्व) -/6,46,90,78,000 रुपये (पूंजी) की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

विधायी कार्य अ0व0 की बारी में---

31.3.2015/1530/jt/av/1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।**

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूँ।

31.3.2015/1530/jt/av/2

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

विचार :

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
तो प्रश्न यह है कि अनुसूचि विधेयक का अंग बने।

31.3.2015/1530/jt/av/3

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुसूचि विधेयक का अंग बनी।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

पारण :

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

31.3.2015/1530/jt/av/4

अब इस मान्य सदन की बैठक बुधवार, 1 अप्रैल, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004
दिनांक 31 : मार्च, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा
सचिव